

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त 2010 सत्र

सोमवार, दिनांक 02 अगस्त, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत

1. (*क्र. 333) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में 30-06-2010 तक प्रदेश में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रतिमाह कितना-कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन किया गया ? (ख) माहवार प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी है ? (ग) इसी अवधि में किन-किन संयंत्रों को प्रतिमाह कितने-कितने मेगावाट विद्युत प्रदेश के बाहर बेचने की अनुमति ओपन एक्सेस के तहत दी गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2010 में 30-06-2010 तक प्रदेश में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा माहवार उत्पादित ऊर्जा का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाया गया है. (ख) माहवार प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाया गया है. (ग) इसी अवधि में विभिन्न संयंत्रों को प्रदेश के बाहर ओपन एक्सेस की तहत प्रतिमाह विद्युत बेचने की अनुमति का विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शाया गया है.

खरीफ फसल 2010 हेतु खाद की व्यवस्था

2. (*क्र. 172) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शासन द्वारा खरीफ 2010 के लिए कितने खाद की व्यवस्था की गई है ? केन्द्र शासन से खरीफ फसल हेतु कितने टन खाद की मांग की गई है ? कौन-कौन से खाद की कितने मात्रा में 30 जून, 2010 तक पूर्ति केन्द्र शासन/राज्य शासन से की गई है.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : राज्य शासन द्वारा खरीफ 2010 के लिए 10 लाख मे. टन खाद की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से मांग की गई है. प्रश्नाधीन अवधि तक शासन द्वारा की गई खादवार पूर्ति निम्नानुसार है :—

क्र.	उर्वरक का नाम	केन्द्र शासन से खरीफ 2010 के लिए मांग (मात्रा मे. टन)	दिनांक 30-06-2010 तक शासन द्वारा आपूर्ति (मात्रा मे. टन)
1.	यूरिया	450000	207620
2.	डी.ए.पी.	225000	118999
3.	एम.ओ.पी.	85000	46493
4.	सुपर फास्फेट	130000	85263
5.	एन.पी.के. काम्प्लेक्स	100000	45032
6.	अन्य	10000	-
योग		10,00,000	5,03,407

मुंबई ताज होटल में हमले के दौरान जख्मी हुए सरगुजा जिला के कमांडो को कृषि भूमि देने की की गई घोषणा

3. (*क्र. 642) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरगुजा जिला निवासी कमाण्डो जिसने मुंबई ताज होटल के हमले में बहादुरी से लड़ाई लड़कर दोनों पैर जख्मी करा लिया था, को उसके गृह जिले में 5.00 एकड़ कृषि भूमि देने की घोषणा की है ? इस संबंध में एक पत्र भी मुख्यमंत्री सचिवालय से कमाण्डो को दिया गया है ? (ख) क्या 30-06-2010 तक की स्थिति में सरगुजा जिले में 5.00 एकड़ (पांच एकड़) कृषि भूमि शासन द्वारा कमाण्डो को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस स्थान पर कितनी भूमि प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो कौन अधिकारी विलंब के लिये दोषी है एवं क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री दिनेश कुमार साहू, ब्लैककैट कमाण्डो, एन.एस.जी. निवासी ग्राम चंदन नगर, थाना प्रेमनगर, जिला सरगुजा को सम्मान स्वरूप एक मकान देने के निर्देश दिए थे जिसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा श्री दिनेश साहू को अंबिकापुर में एक मकान आवंटित कर दिया गया है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

4. (*क्र. 402) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कहां-कहां, कितनी क्षमता वाले विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. किन-किन के साथ किये गये हैं और किनके द्वारा लगाये जा रहे हैं ? कितने विद्युत संयंत्रों को स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ? (ख) कितने संयंत्रों को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति अप्राप्त है, किन्तु निर्माण कार्य जारी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित होने वाले विद्युत संयंत्रों की, क्षमता एवं स्थान के साथ पर्यावरण स्वीकृति संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नांक क की तालिका में सरल क्रमांक 4 से 26 में सम्मिलित 23 संयंत्रों हेतु पर्यावरण स्वीकृति अप्राप्त है. इन कंपनियों के द्वारा परियोजना का निर्माण नहीं किया जा रहा है.

आदिमजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाएं

5. (*क्र. 276) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिमजाति विकास विभाग के कितने छात्रावास संचालित हैं ? (ख) संचालित छात्रावासों में कितने-कितने विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है ? (ग) छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिये शासन के द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 09 छात्रावास संचालित हैं. (ख) संचालित छात्रावासों में कुल 220 विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में पंप ऊर्जाकृत हेतु स्वीकृत प्रकरण

6. (*क्र. 525) **श्री चैतराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 10-07-10 तक कितने पंप ऊर्जाकृत हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? कितने का कार्यादेश जारी करने पश्चात् लाइन का कार्य अपूर्ण है ? (ख) प्रकरण किन कारणों से लंबित है ? लंबित कार्य कब तक पूर्ण होंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में दिनांक 10-07-2010 तक 644 पम्प के प्राक्कलन स्थायी कनेक्शन हेतु स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 515 पम्पों के विद्युतीकरण हेतु कार्यादेश जारी कर 198 पम्पों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 317 पम्पों के विद्युतीकरण कार्य लंबित है. (ख) उक्त लंबित कार्य वित्तीय संसाधनों के उपलब्धतानुसार वर्ष 2010-11 में पूर्ण करने का लक्ष्य है.

कोल ब्लॉकों को पर्यावरणीय स्वीकृति

7. (*क्र. 633) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में हसदेव अरण्ड कोलफील्ड्स से संबंधित जिन 15 कोल ब्लॉकों को एनवायरमेन्टल एन्ड फारेस्ट क्लीरेंस भारत सरकार से नहीं मिल पाया है उनसे संबंधित किन-किन पार्टियों की औद्योगिक इकाईयां/पावर प्लांट कहां-कहां, कितनी क्षमता से स्थापित है एवं वर्तमान में संचालित हैं ? इनमें से कौन-कौन सी पार्टी 1-4-2010 की स्थिति में अस्तित्व में ही नहीं है ? (ख) उक्त औद्योगिक इकाईयों/पावर प्लांटों को पूर्व से कहां-कहां, कितने-कितने डिपॉजिट का कोल ब्लॉक किन-किन कार्यों के लिए आवंटित कर खनिपट्टा प्रदान किया गया है ? खनिपट्टा प्राप्त इकाईयों द्वारा उत्खनन प्रारंभ दिनांक से वर्षवार कुल कितना कोयला निकाला गया है तथा रायल्टी के रूप में कितनी-कितनी राशि जमा की गई है तथा कितनी-कितनी शेष है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2010 में हसदेव अरण्ड कोलफील्ड्स से संबंधित जिन 15 कोल ब्लॉकों को भारत सरकार से एनवायरमेन्टल एन्ड फारेस्ट क्लीरेंस प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे संबंधित पार्टियों (कंपनियों) की सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। उक्त कंपनियों की छत्तीसगढ़ में स्थापित (चालू) औद्योगिक इकाई/पावर प्लांट की क्षमता, संचालन की वर्तमान स्थिति तथा 1-4-2010 की स्थिति में उनके अस्तित्व के संबंध में जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश-क में दर्शित कंपनियों में से मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित स्पंज आयरन संयंत्र के लिए चोटिया-I कोल ब्लॉक, जिला कोरबा में तथा मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमि. (नया नाम सारडा एनर्जी एन्ड मिनरल्स लिमि.) रायपुर के सिलतरा, रायपुर जिले में स्थापित स्पंज आयरन संयंत्र के लिए गारेपेलमा-IV/7 कोल ब्लॉक, जिला रायगढ़ में खनिज कोयला का खनिपट्टा स्वीकृत किये गये हैं। इन कंपनियों के द्वारा उत्खनन प्रारंभ दिनांक से वर्षवार उत्खनित कोयला एवं जमा की गई रायल्टी राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है।

आरंग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों व मजराटोलों का विद्युतीकरण

8. (*क्र. 412) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009, 2010 में 30-06-10 तक आरंग विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों को मजराटोला योजना में एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण किया गया ? (ख) आरंग विकासखण्ड में वर्ष 2008-2009, 2010 में कौन-कौन से गांवों में लो वोल्टेज के कारण नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है एवं कौन-कौन से गांवों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-06-2010 तक आरंग विधान सभा क्षेत्र के क्रमशः 55, 02 व निरंक ग्रामों के मजरा/टोलों में विद्युतीकरण मजरा/टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसकी सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शायी गयी है। उक्त अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत क्रमशः निरंक, 3 व 12 ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है। जिनकी सूची † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शायी गयी है। (ख) आरंग विकासखण्ड में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-06-2010 तक क्रमशः 3, 16 व निरंक ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शायी गयी है। तीन ग्रामों यथा पचेड़ा, कुटेशर एवं बनरसी में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है।

छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी विकासखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों/आश्रमों का संचालन

9. (*क्र. 519) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी विकासखण्ड में दिनांक 8-7-10 की स्थिति में कितने अनु. जा., अनु.ज.जा. बालक एवं बालिका आश्रम/प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास कहां-कहां संचालित है ? उन आश्रमों/छात्रावासों से कितने-कितने बालक बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं ? स्थानवार, छात्र संख्यावार जानकारी दें ? (ख) उक्त आश्रमों/छात्रावासों में से कितने स्वयं के भवन में और कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? नाम सहित पृथक-पृथक जानकारी दें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

संस्था का विवरण	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति			लाभान्वित हो रहे बालक/बालिकाओं की संख्या
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	संयुक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आश्रम	02	01	-	04	01	378
प्री. मैट्रिक छात्रावास	-	01	13	09	-	771
पो. मैट्रिक छात्रावास	-	-	03	02	-	180
योग	02	02	16	15	01	1329

स्थानवार, छात्र संख्यावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) 12 स्वयं के भवन में संचालित हैं. किराये के भवन में कोई भी संस्था संचालित नहीं हैं. नाम सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

प्रदेश में चिन्हांकित किम्बरलाईट स्थल, उसकी सुरक्षा तथा अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण

10. (*क्र. 75) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों को हीरे (किम्बरलाईट) की उपलब्धता हेतु चिन्हित किया गया है ? क्या यह सही है कि रायपुर जिले के गरियाबंद (पायलीखंड) क्षेत्र में किम्बरलाईट (हीरा) सर्वाधिक मात्रा में पाये जाने की पुष्टि हुयी है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त भण्डार के सुरक्षित रखने की दिशा में सरकार ने कोई प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या ? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र (पायलीखंड) में अवैध खदानों व अवैध उत्खनन जारी है ? यदि हां, तो 31 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2010 तक अवैध उत्खनन की कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में हीरे (किम्बरलाईट) की उपलब्धता हेतु चिन्हित किये गये क्षेत्रों का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. यह सही है कि रायपुर जिले के गरियाबंद (पायलीखण्ड) क्षेत्र के किम्बरलाईट में हीरा पाये जाने की पुष्टि हुई है. (ख) हीराधारित उक्त क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था उदन्ती वन मंडल के द्वारा वन प्रबंध समिति के सदस्यों एवं वन चौकीदारों के माध्यम से कराई जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) पायलीखंड क्षेत्र में अवैध उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों एवं की गई कार्यवाही का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “स” एवं †† संलग्न प्रपत्र “द” पर दर्शित है.

छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन एवं खपत

11. (*क्र. 247) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा औसतन कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है ? उत्पादित बिजली की तुलना में विद्युत वितरण कंपनी की बिजली की खपत कितनी है ? (ख) अतिरिक्त बिजली विक्रय किन-किन दरों पर, किन-किन संस्था अथवा इकाई को किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा औसतन 1617 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. उत्पादित बिजली की तुलना में विद्युत वितरण कंपनी की खपत औसतन 2119 मेगावाट है. (ख) विभिन्न संस्थाओं तथा ईकाईयों को विक्रय की जा रही बिजली एवं दरों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को नलकूप खनन हेतु प्रदत्त अनुदान

12. (*क्र. 614) **श्रीमती लक्ष्मी बघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितने किसानों को किन-किन योजनाओं के तहत नलकूप खनन हेतु शासन से कितना-कितना सहायता/अनुदान प्रदान किया गया है ? (ख) कितने किसानों के प्रकरण विभागीय स्तर पर वर्तमान में लंबित है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप खनन हेतु निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया गया है :-

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु.)	कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किसान समृद्धि योजना	187	23,12,134.00	160	19,33,832.00
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (शैलो ट्यूबवेल)	0	0.00	3	15,000.00

(ख) दिनांक 19-07-2010 की स्थिति में किसान समृद्धि योजनांतर्गत नलकूप खनन के अनुदान भुगतान हेतु 8 प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को नलकूप खनन हेतु प्रदत्त अनुदान तथा लंबित आवेदनों का निराकरण

13. (*क्र. 20) **श्री सौरभ सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-6-10 तक अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस गांवों में कितने-कितने किसानों को नलकूप खनन के लिये अनुदान दिया गया है ? (ख) किन-किन गांवों के कितने-कितने किसानों के प्रकरण कब से लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का कब-तक निराकरण किया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि [वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (30-06-2010 तक)] में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनांतर्गत कुल 66 ग्रामों के 165 कृषकों को नलकूप खनन के लिये अनुदान दिया गया है. ग्रामवार कृषक संख्या † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है.

रायगढ़ के मोहन जूट मिल की तालाबंदी की समाप्ति हेतु की गई कार्यवाही

14. (*क्र. 41) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मोहन जूट मिल रायगढ़ में तालाबंदी है ? यदि हां, तो तालाबंदी समाप्त करने के लिए विभाग ने क्या-क्या प्रयास किया है ? (ख) बंद अवधि के लिए ले-ऑफ आधा वेतन मजदूरों को कब तक भुगतान किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) यह सही है कि मोहन जूट मिल के प्रबंधन द्वारा दिनांक 18-06-2010 को कार्य स्थगित (सस्पेंशन ऑफ वर्क) रखने की सूचना दी गई. मोहन जूट मिल की तालाबंदी समाप्त करने हेतु सहायक श्रमायुक्त, रायगढ़ द्वारा दिनांक 26-06-2010 को नियोजक एवं श्रमिक संघों के मध्य समझौता बैठक रखी गई थी, किन्तु नियोजक के उपस्थित नहीं होने के कारण कोई निराकरण नहीं हो सका. तत्पश्चात् दिनांक 28-06-2010 को पत्र के माध्यम से नियोजक को पुनः कार्य चालू करने हेतु निर्देशित किया गया. दिनांक 20-07-10 को श्रमायुक्त कार्यालय में पक्षों की बैठक रखी गई. (ख) बंद अवधि के लिए ले-ऑफ आधा वेतन मजदूरों को प्रदाय किये जाने के संबंध में प्रबंधन द्वारा उनके पत्र दिनांक 10-07-2010 द्वारा 15 दिवस के भीतर श्रमिकों को भुगतान किये जाने की सूचना दी गई है.

विभिन्न फर्म तथा कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक

15. (*क्र. 194) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 में दिनांक 08-07-2010 तक किस-किस फर्म तथा कंपनी को कहां-कहां, कितना-कितना कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में आवंटित कोल ब्लॉक्स में से किन-किन का आवंटन निरस्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के द्वारा मेसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड को आवंटित दतिमा कोल ब्लॉक निरस्त किया गया है.

सरगुजा जिले में हैण्डपंप खनन की स्वीकृति

16. (*क्र. 568) **श्री रामदेव राम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कौन-कौन सी योजनाओं से कितने हैण्डपंप खनन की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) स्वीकृत में से कितने हैण्डपंप का खनन किया गया ? शेष का खनन कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 09-10 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हैण्डपंप/नलकूप हेतु खनन कार्य की स्वीकृति † संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदान की गई. (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. शेष हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्ययोजना अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं.

सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण

17. (*क्र. 346) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पट्टा हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में अ.ज.जा., अ.जा. एवं अन्य कुल कितने हितग्राहियों ने वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया ? (ख) प्रश्न "क" की अवधि में कुल कितने पट्टों का वितरण किया गया और कितनों को अपात्र घोषित किया गया ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 2782. वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या		
	अ.ज.जा.	अनु.जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	527	217	744
2008-09	1182	398	1580
2009-10	233	225	458
योग	1942	840	2782

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	वितरित पट्टा			निरस्त आवेदनों की संख्या (अपात्र घोषित)		
	अ.ज.जा.	अनु.जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी	कुल	अ.ज.जा.	अनु.जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007-08	217	12	229	310	205	515
2008-09	785	33	818	397	365	762
2009-10	132	10	142	101	215	316
योग	1134	55	1189	808	785	1593

कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को नलकूप खनन हेतु प्रदत्त अनुदान

18. (*क्र. 361) **श्री लेखराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कितने किसानों को किन-किन योजनाओं के तहत नलकूप खनन हेतु शासन से कितनी-कितनी सहायता/अनुदान प्रदाय किया गया है ? (ख) कितने किसानों के प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत (लघु सिंचाई नलकूप) वर्ष 2008-09 में कुरुद विधान सभा क्षेत्र के 155 किसानों को नलकूप खनन हेतु राशि रु. 15.46 लाख अनुदान प्रदाय किया गया है. (ख) दिनांक 20-07-2010 की स्थिति में किसानों के प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित नहीं है.

सारंगढ़ तथा बरमकेला विकासखंड में कृषकों द्वारा स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

19. (*क्र. 574) **श्रीमती पदमा घनश्याम मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला वि. ख. में लघु सिंचाई योजनांतर्गत खनित ट्यूबवेल के स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु 30 जून, 2010 तक किस-किस ग्राम के, कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुये हैं ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त कृषकों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत खनित ट्यूबवेल के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात् दिनांक 30-06-2010 तक 404 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. विकासखण्डवार एवं ग्रामवार कृषकों की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ख) उक्त 404 आवेदनों में से 361 कृषकों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत मजरा/टोले

20. (*क्र. 623) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मजरेटोले स्थापित हैं ? उक्त मजरेटोले में से कितने में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) शेष बचे मजरेटोले में उक्त योजना के तहत कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सन् 2001 की जनगणना रिपोर्ट में ग्रामों के मजरों/टोलों का उल्लेख नहीं है. लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के लिए स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के 285 मजरों/टोलों का उल्लेख है. स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्युतीकृत 172 आबाद ग्रामों तथा 300 से अधिक जनसंख्या वाले रिहायशी क्षेत्रों में सघन विद्युतीकरण का कार्य किया गया है. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100 से अधिक तथा 300 से कम जनसंख्या वाले रिहायशी क्षेत्रों (मजरों/टोलों) के विद्युतीकरण हेतु पूरक परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के 61 मजरे/टोले शामिल हैं. इन मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य योजना की स्वीकृति के उपरांत किया जा सकेगा.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चूनापत्थर खदानों में विस्फोट पदार्थों से पत्थर तोड़ने की अनुमति

21. (*क्र. 546) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत आवंटित चूना पत्थर खदानों में कितने तथा कौन-कौन से खदानों में विस्फोटक पदार्थों से पत्थर तोड़ने की अनुमति प्राप्त है ? (ख) खदान मालिकों को विस्फोटक पदार्थ कहां से तथा किसके द्वारा प्रदाय किया जाता है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत आवंटित 12 चूना पत्थर खदानों में विस्फोटक पदार्थों से पत्थर तोड़ने की अनुमति प्राप्त है, जिनकी सूची †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) खदान मालिक विस्फोटक लायसेंस में दर्शित मात्रा के अनुसार प्राधिकृत डीलर से विस्फोटक सामग्री क्रय कर सकता है.

विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा में संचालित पशु चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु भवन व्यवस्था

22. (*क्र. 212) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड बेरला एवं विकासखण्ड बेमेतरा में कितने पशु चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं ? स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की जानकारी केन्द्रवार देवें. (ख) संचालित चिकित्सालय एवं औषधालयों में कितने भवन विहीन हैं ? भवनों की स्वीकृति कब तक की जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखण्ड बेरला में 01 पशु चिकित्सालय, एवं 08 पशु औषधालय है, तथा विकासखण्ड बेमेतरा में 01 पशु चिकित्सालय एवं 01 पशु औषधालय संचालित है. स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की केन्द्रवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है. (ख) संचालित पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों में 04 संस्थाएं भवन विहीन हैं. भवनों की स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

कोटा तथा मरवाही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित भवन विहीन छात्रावास, आश्रम एवं शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

23. (*क्र. 511) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के कोटा, मरवाही विधान सभा क्षेत्रों में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) वर्तमान में कहां-कहां भवन निर्माणाधीन है ? निर्माणाधीन भवन कब-तक पूरा कर लिया जायेगा ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ग) भवन विहीन छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 33 छात्रावास, 03 आश्रम, 08 हाईस्कूल व 08 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विधान सभा क्षेत्र	विकासखंड	भवन विहीन संस्थाएं			
			छात्रावास	आश्रम	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोटा	गौरैला	04	-	-	-
		कोटा	05	02	-	-
		पेण्ड्रा	01	-	01	02
		योग	10	02	01	02
2.	मरवाही	गौरैला	03	01	01	04
		पेण्ड्रा	02	-	01	02
		मरवाही	18	-	05	-
		योग	23	01	07	06
महायोग			33	03	08	08

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखंड	विधान सभा क्षेत्र	निर्माणाधीन भवन का नाम/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोटा	कोटा	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन, कोटा

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गौरैला	कोटा	उच्चतर माध्यमिक शाला भवन, टिकरकला गौरैला
3.	गौरैला	मरवाही	उच्चतर माध्यमिक शाला भवन, लालपुर
4.	मरवाही	मरवाही	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन, कटरा

यथासंभव शीघ्र. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) भवन विहीन संस्थाओं में से संयुक्त आश्रम चुकतीपानी एवं प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, उषाढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त चुकी है. शेष के लिए निश्चित समय बताना संभव नहीं है.

सरगुजा जिले के मैनपाट एवं कुसमी विकासखण्ड में बाक्सार्ड के उत्खनन हेतु प्रदत्त अनुमति

24. (*क्र. 237) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के मैनपाट एवं कुसमी विकासखण्ड के अंतर्गत कितने हेक्टेयर रकबा में बाक्सार्ड उत्खनन हेतु अनुमति दी गई है ? (ख) वर्तमान में कितने हेक्टेयर रकबा में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है ? जनवरी वर्ष 2008 से 2010 तक की खसरा रकबा नंबर सहित जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले के मैनपाट एवं कुसमी विकासखण्ड के अंतर्गत कुल 869.305 हेक्टर क्षेत्र पर बाक्सार्ड उत्खनन की अनुमति दी गई है. (ख) वर्तमान में 100.31 हेक्टर रकबा में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है. जनवरी वर्ष 2008 से जून 2010 तक उत्खनन किये गये खसरा रकबा की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

नकली/अमानक रासायनिक उर्वरक विक्रय के दर्ज प्रकरण

25. (*क्र. 635) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 एवं 10-11 में 30 जून, 2010 तक राज्य में नकली/अमानक रासायनिक उर्वरक बेचने के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? दर्ज प्रकरण में कितनी-कितनी मात्रा के उर्वरकों की जप्ती बनाई गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (30 जून, 2010) की अवधि में राज्य में नकली रासायनिक उर्वरक बेचने के प्रकरण दर्ज नहीं किये गये. प्रयोगशाला के विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (30 जून, 10 की स्थिति) में क्रमशः 139 एवं 55 उर्वरक नमूने अमानक स्तर के पाये गये. अमानक पाये गये उर्वरकों के प्रकरण में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की गयी/जारी है. जप्त उर्वरक की मात्रा निरंक.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला महासमुंद में कृषि पम्पों हेतु कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मर के लंबित प्रकरण

1. (क्र. 173) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में विद्युत पंपों के कनेक्शन एवं कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर के कितने प्रकरण दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में लंबित हैं ? संभावित बतायें ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितने कृषकों को पंप हेतु कनेक्शन दिया गया तथा कनेक्शन हेतु कितने ट्रांसफार्मर दिये गये ? (ग) लंबित प्रकरणों को कनेक्शन व ट्रांसफार्मर कब तक दे दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुन्द जिले में दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में 2200 पम्प कनेक्शन एवं इनमें से 617 कनेक्शन के लिए 112 ट्रांसफार्मर लगाए जाने के कार्य लंबित हैं, जिनकी संभावित संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ख) महासमुन्द जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-06-2010 तक क्रमशः 4479 एवं 1036 पम्प हेतु कनेक्शन दिये गये तथा उक्त में से क्रमशः 2008 कनेक्शन हेतु 321 ट्रांसफार्मर एवं 376 कनेक्शन हेतु 51 ट्रांसफार्मर लगाए गए. (ग) लंबित विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाए जाने के कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

प्रदेश में फाउण्डेशन बीज के रूप में कृषकों से क्रय धान

2. (क्र. 195) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किन-किन शासकीय बीज प्रक्षेत्र में धान का फाउण्डेशन बीज (आधार बीज) तैयार किया जाता है? (ख) खरीफ वर्ष 2009 में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रक्षेत्रों में कितना-कितना धान उत्पादित हुआ तथा उसमें से कितने धान को फाउण्डेशन बीज के रूप में निर्धारण किया गया तथा कितना मंडी/समिति में बेचा गया ? (ग) उक्त अवधि में कृषकों से कितनी मात्रा में धान फाउण्डेशन बीज के रूप में खरीदा गया ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कृषि विभाग के 16 प्रक्षेत्रों एवं छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के 9 प्रक्षेत्रों में धान का फाउण्डेशन बीज (आधार बीज) तैयार किया जाता है. प्रक्षेत्र का नाम †† संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित है. (ख) खरीफ वर्ष 2009 में कृषि विभाग के अधीन 16 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में आधार बीज के लिये 11,266.81 क्विंटल धान उत्पादन हुआ, जिसमें से 8,321.00 क्विंटल धान पैकड फाउण्डेशन बीज के रूप में प्राप्त हुआ. इसी प्रकार राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधीन 9 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में आधार बीज के लिये 8,627.49 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ, जिसमें से 6,334.20 क्विंटल धान पैकड फाउण्डेशन बीज के रूप में प्राप्त हुआ. मंडी/समिति में विक्रय बीज की मात्रा (अंडर साईज) 779.03 क्विंटल है. प्रक्षेत्रवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित है. (ग) वर्ष 2009 खरीफ में छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कृषकों से 3,652.20 क्विंटल धान फाउण्डेशन बीज के रूप में खरीदा गया.

दुर्ग जिले में रबी एवं खरीफ सीजन में डी.ए.पी. का उठाव

3. (क्र. 213) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में खरीफ सीजन में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी मात्रा में डी.ए.पी. खाद का आवंटन (भंडारण) जारी किया गया तथा कितना उठाव (वितरण) किया गया ? (ख) दुर्ग जिले के बेमेतरा अनुविभाग में रबी एवं खरीफ सीजन वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 हेतु कितनी डी.ए.पी. की आपूर्ति की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) दुर्ग जिले में खरीफ सीजन वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (दिनांक 16-07-2010 तक) निम्नानुसार डी.ए.पी. खाद का भंडारण एवं वितरण कराया गया है :—

क्र.	वर्ष	भंडारण			वितरण		
		सह.	निजी	योग	सह.	निजी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2008-09	15880	5731	21611	14857	5498	20355

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	2009-10	27080	16184	43264	25953	15749	41702
3.	2010-11 (दि. 16-07-10 तक)	23046	4200	27246	19929	3440	23369

(ख) दुर्ग जिले के बेमेतरा कृषि अनुविभाग में रबी एवं खरीफ सीजन वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 16-07-10 तक निम्नानुसार डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति की गई है :-

क्र.	वर्ष	खरीफ सीजन			रबी सीजन		
		सह.	निजी	योग	सह.	निजी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2008-09	6093	1602	7695	1878	1371	3249
2.	2009-10	9740	2213	11953	1373	1400	2773
3.	2010-11 (दि. 16-07-10 तक)	7835	988	8823	-	-	-

जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच/कार्यवाही

4. (क्र. 248) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल, 2010 से दिनांक 08-07-2010 तक आदिमजाति एवं अनु. जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कितने जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है ? अलग-अलग जाति वर्ग वार जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में आदिमजाति एवं अनु. जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा फर्जी जाति प्रमाण के कितने प्रकरणों पर कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं ? क्या इन पर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	वर्ग/जाति	सत्यापित प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	अनुसूचित जनजाति	8575
2.	अनुसूचित जाति	4038
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	16866
योग		29479

(ख) उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा 09 प्रकरणों पर कार्यवाही के आदेश पारित किये गये. 01 प्रकरण में सेवा समाप्त की गई है. 07 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है तथा 01 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में मछली पालन हेतु तालाबों एवं जलाशयों की लीज

5. (क्र. 277) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने तालाबों एवं जलाशयों को मछली पालन हेतु किन-किन समूहों को लीज में दिया गया है ? लीज की राशि व अवधि की भी जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 351 ग्रामीण तालाब, (जलक्षेत्र 534.759 हेक्टर) एवं 26 सिंचाई जलाशय (जलक्षेत्र 752.655 हेक्टर) मछली पालन हेतु पंजीकृत मछुआ समितियों, मछुआ समूहों एवं व्यक्ति मछुआरों को लीज में दिया गया है. हितग्राहीवार लीज राशि एवं लीज अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय तालाबों की लीज

6. (क्र. 362) **श्री लेखराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरुद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालन हेतु कितने शासकीय तालाब लीज व पट्टे पर दिए गये हैं ? ग्राम का नाम, तालाब का रकबा, व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम, लीज की अवधि की जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : कुरुद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालन हेतु 318 शासकीय तालाब लीज/पट्टे पर दिए गए हैं. ग्रामवार, तालाबवार, वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड पामगढ़ एवं नवागढ़ में स्वीकृत नल-जल योजना की स्थिति

7. (क्र. 403) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2008 से 30 जून, 2010 तक जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ एवं नवागढ़ विकासखण्ड में कुल कितने हैण्ड पम्प खोदे गये ? (ख) ग्रामीण नल-जल योजना के कितने प्रकरण उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिये गये हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 1 जनवरी, 2008 से 30 जून, 2010 तक जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड में 163 एवं नवागढ़ विकासखण्ड में 329 नलकूप (हैण्डपम्प) खोदे गये. (ख) ग्रामीण नल-जल योजना के 19 प्रकरण स्वीकृत किये गये. 03 योजना का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिये गये हैं.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में खनिज रायल्टी से प्राप्त राशि

8. (क्र. 419) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2007, 2008, 2009-10 में खनिज रायल्टी से कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) आरंग विकासखण्ड में प्राप्त रायल्टी राशि से आरंग क्षेत्र में उस राशि से कौन-कौन से कार्य, किस-किस ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया एवं ग्राम पंचायतों को कितनी राशि आवंटित की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2007, 2008, 2009-10 में गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) उक्त प्राप्त रायल्टी राशि से आरंग विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. कलेक्टर रायपुर के माध्यम से आरंग विकासखण्ड के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों को आवंटित रायल्टी राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है.

बगैर पिटपास के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों पर कार्यवाही

9. (क्र. 466) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1-11-2009 से 30-3-2010 तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार अम्बिकापुर एवं नायब तहसीलदार अम्बिकापुर द्वारा बगैर पिटपास के अवैध परिवहन में लिप्त कुल कितने वाहनों की जांच की गई और इनमें से कुल कितने वाहनों को जब्त कर, पुलिस को सुपुर्द किया गया ? (ख) बिना पिटपास के खनिज परिवहन में लिप्त वाहनों में से कितने वाहनों का प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर खनिज शाखा अम्बिकापुर को भेजा गया एवं कितने वाहनों को अनुविभाग दण्डाधिकारी अम्बिकापुर के आदेश पर छोड़ा गया ? इन वाहनों से कुल कितनी राशि राजस्व के रूप में शासन को प्राप्त हुई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01-11-2009 से दिनांक 30-3-2010 तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अंबिकापुर द्वारा 26, तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा 20 एवं नायब तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा 05 इस प्रकार कुल 51 बगैर पिटपास के अवैध परिवहन में लिप्त

वाहनों की जांच की गई और इनमें से कुल 21 वाहनों को जप्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया. (ख) बिना पिटपास के खनिज परिवहन में लिफ्ट 51 वाहनों में से 21 वाहनों का प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर खनिज शाखा, सरगुजा को भेजा गया एवं इन 21 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर रुपये 56,278=00 अर्थदण्ड वसूल किया गया. शेष 30 प्रकरणों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अंबिकापुर द्वारा पकड़े गये वाहनों को वाहन मालिकों की सुपुर्दगी में दिया गया है तथा प्रकरण विचाराधीन है.

ग्राम मिट्ठीकला तहसील अंबिकापुर में निर्माणाधीन मिल की दीवार गिरने से मृत मजदूरों के परिजनों को मुआवजा

10. (क्र. 468) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 में ग्राम मिट्ठीकला तहसील अंबिकापुर में निर्माणाधीन मिल की दीवार गिरने से कितने मजदूरों की मृत्यु घटनास्थल पर हुई थी एवं कितने मजदूरों ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा था ? (ख) मृतक मजदूरों के परिवार को मिल मालिक/शासन द्वारा कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किस दिनांक को किया गया ? (ग) इस मिल की दीवार गिरने के घटना के उक्त अवधि में कलेक्टर सरगुजा, पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर एवं राज्य शासन को कुल कितने शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2008 में ग्राम मिट्ठीकला तहसील अंबिकापुर में निर्माणाधीन मिल की दीवार गिरने से कुल 05 मजदूरों की मृत्यु हुई थी. उपचार के दौरान 01 मजदूर की मृत्यु हुई. (ख) मृतक मजदूरों के आश्रितों को तत्काल सहायता राशि के रूप में रुपये 5,000/- प्रत्येक को घटना दिनांक 15-10-2009 को शासन द्वारा भुगतान किया गया. (ग) उक्त अवधि में कलेक्टर, अंबिकापुर को 02 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई. पुलिस द्वारा मिल मालिक के विरुद्ध सी.जे.एम. कोर्ट अंबिकापुर में क्रिमिनल केस क्रमांक 827/2009, दिनांक 25-05-2009 को दायर किया गया है. साथ ही कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 ए (1) एवं धारा 88 नियम 108 के उल्लंघनों के लिए दिनांक 06-01-2009 को प्रकरण क्रमांक 01/2009 दायर किया गया है.

राजनांदगांव जिले में किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान

11. (क्र. 520) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2009-10 में कितने किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया तथा किसानों द्वारा कितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा की गई ? (ख) कितने किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान किया गया तथा कितने किसानों का भुगतान किया जाना शेष है ? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2009-10 में 140631 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया तथा किसानों से राशि रु. 3,10,11,661 (रु. तीन करोड़ दस लाख ग्यारह हजार छः सौ इकसठ मात्र) प्रीमियम के रूप में जमा की गई है. (ख) क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कृषकों के खाते में समायोजन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. तहसीलवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित वर्मी कम्पोस्ट इकाई तथा हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान

12. (क्र. 576) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा में वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में 30 जून, 10 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत कितनी वर्मीकम्पोस्ट इकाई स्थापित की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा में वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में 30 जून, 2010 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत कुल 2552 वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गई है. विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकासखण्डवार स्थापित वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की संख्या		योग
	सारंगढ़	बरमकेला	
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)
2008-09	-	368	368
2009-10	144	2040	2184
महायोग	144	2408	2552

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित एवं प्रस्तावित नल जल योजना

13. (क्र. 615) **श्रीमती लक्ष्मी बघेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2009-10 से 30 जून, 2010 की स्थिति में बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी नल जल योजना संचालित है ? कितने का कार्य निर्माणाधीन है ? (ख) वर्ष 2010-2011 के लिए कितनी नल जल निर्माण हेतु प्रस्तावित है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वित्तीय वर्ष 2009-10 से 30 जून 2010 की स्थिति में बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 24 नलजल योजना संचालित हैं. 02 योजना का कार्य निर्माणाधीन है. (ख) वर्ष 2010-11 के लिए 03 नल जल योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल एवं प्रसाधन की व्यवस्था संबंधी

14. (क्र. 624) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) समस्त विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं प्रसाधन की व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) समस्त विद्यालयों में शुद्ध पेयजल एवं प्रसाधन की व्यवस्था आवंटन की उपलब्धता के आधार पर कराई जायेगी. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जांजगीर-चांपा में “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” के तहत चिन्हांकित ग्राम

1. (क्र. 33) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” के तहत जांजगीर-चांपा में किस-किस विकासखंड के कौन-कौन से गांव को चिन्हांकित किया गया है और कितने गांव इस योजना के तहत प्रस्तावित हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” राज्य में संचालित नहीं होने के कारण जांजगीर-चांपा जिले के किसी भी विकासखंड में किसी भी ग्राम को चिन्हांकित नहीं किया गया है तथा वर्तमान में इस योजना के लिए किसी भी ग्राम का प्रस्ताव नहीं है।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हैण्डपम्प/नलकूप मैकेनिक के स्वीकृत एवं रिक्त पद

2. (क्र. 34) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस स्थान पर कितने हैण्डपम्प/नलकूप मैकेनिक के पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद रिक्त हैं और इनको कब तक भरा जायेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थानवार हैण्डपम्प/नलकूप मैकेनिक के पद स्वीकृत नहीं है। विभागीय सेटअप के अनुसार प्रति विकासखंड 05 हैण्डपम्प/नलकूप मैकेनिक पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 हैण्डपम्प/नलकूप मैकेनिक कार्यरत हैं। कोई पद रिक्त नहीं है।

इंड सिनर्जी उद्योग महापल्ली कोटमार प्रबंधन के विरुद्ध 9 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही

3. (क्र. 52) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंड सिनर्जी उद्योग महापल्ली कोटमार के प्रबंधन के विरुद्ध मजदूरों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये 9 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन पर कलेक्टर रायगढ़ एवं श्रम विभाग के द्वारा प्रथम दृष्टया जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं ? (ख) शासन ने प्रबंधन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) श्रम विभाग द्वारा जांच में प्रथम दृष्टया श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया गया। जिसमें विगत 2 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं दिया जाना, पदोन्नति नहीं दिया जाना, भविष्य निधि पर्ची नहीं दिया जाना, अधिसमय कार्य (ओवर टाइम) का समय पर भुगतान नहीं करना पाया गया। (ख) दिनांक 24-06-2010 को कलेक्टर रायगढ़ के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के प्रतिनिधि एवं सहायक श्रमायुक्त रायगढ़ की उपस्थिति में नियोजकों एवं श्रमिकों की बैठक में नियोजकों एवं श्रमिकों के मध्य श्रमिकों के मांगों पर समझौता संपन्न कराया गया।

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत ग्राम

4. (क्र. 184) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों को सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदाय की जाती है ? नाम सहित बतायें ? (ख) उक्त ग्रामों की विद्युत व्यवस्था ताप विद्युत व्यवस्था में कब तक परिवर्तित की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में दो ग्रामों यथा रायपानी एवं सालहेभाठा को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। (ख) उक्त दोनों ग्राम वन क्षेत्र में स्थित हैं, अतः वर्तमान में इन ग्रामों को परम्परागत तरीके (ताप विद्युत व्यवस्था नहीं) से विद्युतीकृत किया जाना संभव नहीं है।

जिला महासमुन्द में भवनविहीन छात्रावास तथा आश्रमों की जानकारी

5. (क्र. 185) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में कितने पो. मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रावास (बालक/बालिका) तथा आश्रम भवनविहीन हैं ? विकासखण्डवार नाम सहित बतायें ? (ख) किराये पर संचालित भवन कितने हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 04 पो. मैट्रिक, 42 प्री मैट्रिक छात्रावास (बालक/बालिका) तथा 08 आश्रम भवनविहीन हैं. विकासखण्डवार नाम सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) किराये पर संचालित भवन 45 हैं.

बेमेतरा में ग्राम सुराज अभियान के तहत प्राप्त एवं निराकृत आवेदन

6. (क्र. 217) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम सुराज अभियान के तहत बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बेरला एवं धमधा में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये ? (ख) इन आवेदनों में कितने निराकृत किये गये और कितने शेष हैं ?

वन मंत्री (श्री विक्रम उसेण्डी) : (क) “ग्राम सुराज अभियान-2010” के दौरान 1504 आवेदन पत्र बेमेतरा विधान सभा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड बेरला एवं धमधा के क्षेत्रों से प्राप्त हुए. (ख) प्राप्त कुल आवेदन पत्रों में से 1459 का निराकरण किया गया है. शेष 45 आवेदन पत्रों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि एवं विद्युतीकृत ग्राम

7. (क्र. 219) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केन्द्र शासन से वर्ष 2009-10 में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) इस राशि से कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ? (ग) वर्तमान में केन्द्र शासन के पास कितने जिले के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु केन्द्र शासन से वित्तीय वर्ष 2009-10 में 316 करोड़ 63 लाख 49 हजार छः सौ रुपये प्राप्त हुए हैं. (ख) उक्त राशि में से योजनान्तर्गत 18 अविद्युतीकृत ग्रामों एवं 09 डिइलेक्ट्रिफाईड ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 2490 विद्युतीकृत ग्रामों को सघन विद्युतीकरण किया जाकर 148171 बी.पी.एल. आवासगृहों में विद्युत कनेक्शन दिया गया है. (ग) वर्तमान में केन्द्र शासन के पास 02 जिलों यथा जशपुर एवं कोरिया के कुल 1328 ग्रामों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव लंबित हैं.

रायगढ़ जिला में अनुदान से खाद, बीज व कृषि यंत्र से लाभान्वित हितग्राही

8. (क्र. 259) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में रायगढ़ जिला में कितनी मात्रा में किसानों को अनुदान पर बीज, खाद व कृषि यंत्र प्रदान किए गए ? विकासखण्डवार अनुदान प्राप्त किसानों की संख्या बतावें. (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित अनुदान किन-किन योजनाओं के तहत प्रदान किए गए ? इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायगढ़ जिले में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (जून, 2010 तक) में अनुदान पर निम्नानुसार बीज, खाद एवं कृषि यंत्र प्रदान किये गये :—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	इकाई (3)	2009-10 (4)	2010-11 (जून, 10 तक) (5)
1.	बीज	क्विंटल	37238.25	36311.75
2.	खाद	क्विंटल	2337.70	6609.00
3.	कृषि यंत्र	संख्या	1611	560

विकासखण्डवार अनुदान प्राप्त किसानों की संख्या †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) प्रश्नांक “क” के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः मेक्रोमेनेजमेंट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माड़ा पाकेट योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बिरहोर योजना, आईसोपाम योजना, बीज ग्राम योजना, अक्ती बीज संवर्धन योजना, राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम (आत्मा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत हरित क्रांति विस्तार योजना अन्तर्गत अनुदान प्रदाय किया गया. योजनावार लक्ष्य एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

रायगढ़ जिले में बाल श्रम विद्यालयों को आवंटित राशि

9. (क्र. 260) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 में रायगढ़ जिले में संचालित बाल श्रमिक विशेष स्कूलों को कुल कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? मदवार आवंटित राशि की जानकारी दें। (ख) क्या उक्त अवधि में इन बाल श्रमिक स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायगढ़ जिले में संचालित बाल श्रम विशेष शालाओं को वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-2011 में आवंटित बजट का मदवार विवरण परिशिष्ट में † संलग्न है। (ख) वर्ष 2008-09 में अध्ययनरत 744 बच्चों के विरुद्ध वर्ष 2009-10 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त रुपये 5,15,106/- 394 बच्चों को उनके बचत खाता के माध्यम से भुगतान किया गया। शेष 350 बच्चों के लिये वर्ष 2008-09 में द्वितीय किस्त के अभाव में छात्रवृत्ति भुगतान नहीं किया जा सका है। वर्ष 2009-10 में अध्ययनरत 800 बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की राशि श्रम मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। भारत सरकार श्रम मंत्रालय को बजट आवंटन हेतु पत्र दिनांक 11-06-2010 एवं 12-07-2010 द्वारा निवेदन किया गया है।

रतनजोत पौधों के रोपण में व्यय राशि

10. (क्र. 322) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 से वर्ष 2010 में दिनांक 7-7-10 तक प्रतिवर्ष कितने हेक्टेयर भूमि में रतनजोत पौधे को रोपण किया गया तथा कितना उत्पादन हुआ ? (ख) पौध रोपण में कितना व्यय किया गया ? मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक रोपित पौधों में से कितने हेक्टेयर भूमि के पौधे पूर्णतः नष्ट हो गये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2006 में 39540.356, वर्ष 2007 में 55897.08, वर्ष 2008 में 5204.38 एवं वर्ष 2009 में 4 हेक्टेयर (नोशनल) भूमि में रतनजोत पौध का रोपण किया गया। वर्ष 2010 में 7-7-10 तक कोई रोपण नहीं किया गया है। शासन द्वारा समस्त उत्पादित बीजों का संग्रहण अथवा क्रय नहीं किया जाता, अतः उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (ख) पौध रोपण में कुल रूपए 16490.02 लाख व्यय किये गये। मजदूरी पर रूपए 12931.59 लाख एवं सामग्री पर रूपए 3558.42 लाख व्यय किये गये। (ग) वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक रोपित पौधों में से 9196.88 हेक्टेयर (नोशनल) भूमि के पौधे पूर्णतः नष्ट हो गये हैं।

जवाहर उत्कर्ष योजना से लाभान्वित विद्यार्थी

11. (क्र. 325) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहर उत्कर्ष योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में किन-किन शालाओं को किस-किस कक्षा में कितने-कितने बच्चों को लाभ दिया गया ? (ख) प्रति विद्यार्थी इन शालाओं को प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम 12 एवं 13 पर दर्शित है।

कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित एवं स्वीकृत नल जल योजना

12. (क्र. 364) **श्री लेखराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी नल जल योजना संचालित हैं ? कितनी निर्माणाधीन है ? (ख) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2009-10 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कितनी नल जल योजना स्वीकृत की गयी ? कार्य का नाम लागत राशि सहित बतायें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 22 योजनायें संचालित हैं। 08 योजनायें निर्माणाधीन हैं। (ख) कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2009-10 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई नलजल योजना स्वीकृत नहीं की गयी है।

जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति

13. (क्र. 407) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गई है ? नाम पता सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित अनुमति से कितनी-कितनी राजस्व एवं वन भूमि अधिग्रहित की जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) मेसर्स इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 1200 मेगावाट क्षमता का पवार प्लांट स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू. किया गया है। कंपनी ने इस परियोजना की स्थापना हेतु पामगढ़ में स्थान का चयन किया है। कंपनी का नाम इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं पंजीकृत कार्यालय का पता पार्क प्लाजा 71, पार्क स्ट्रीट कोलकाता-700016 है। (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित पावर प्लांट हेतु कुल 325.747 हेक्टर राजस्व भूमि को अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। वन भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पामगढ़ एवं नवागढ़ विकासखण्ड के ग्रामों एवं मजराटोलों का विद्युतीकरण

14. (क्र. 409) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पामगढ़ एवं नवागढ़ विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण, बी.आर.बी.एस. अथवा मजराटोला विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने ग्रामों, मजराटोलों में वर्ष 2009-2010, 30 जून, 2010 की स्थिति में विद्युतीकरण किया गया तथा कितने में किया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पामगढ़ एवं नवागढ़ विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/वितरण कंपनी द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (राजीव गांधी विद्युतीकरण नहीं) बी.आर.जी.एफ (बी.आर.जी.एस. नहीं) अथवा मजराटोला विद्युतीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-2011 में 30 जून 2010 की स्थिति में निरंक ग्रामों एवं मजराटोलों में विद्युतीकरण किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित जांजगीर-चांपा जिले के पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 09 ग्रामों के 11 मजराटोलों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

आरंग विधान सभा क्षेत्र में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति के आश्रम

15. (क्र. 421) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 जुलाई, 2010 की स्थिति में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका आश्रम कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) उक्त विकासखण्ड में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के छात्रावास संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन में एवं कितने किराये के भवन में संचालित हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 01 अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, भण्डारपुरी में संचालित है। अनुसूचित जनजाति की कोई भी आश्रम संचालित नहीं है। (ख) 04 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक एवं 01 पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के प्री. मै./पो.मै. छात्रावास संचालित नहीं है। सभी छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित है।

कोंटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत आश्रम छात्रावासों की स्थिति

16. (क्र. 451) **श्री लखमा कवासी** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोंटा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006 से दिनांक 1-7-2010 तक कितने आश्रम छात्रावास की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई ? (ख) स्वीकृत छात्रावासों व आश्रमों में से दिनांक 01-07-2010 तक कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 15 आश्रम एवं 02 छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के प्रकाश में जानकारी निरंक है किन्तु इस अवधि में स्वीकृत भवनों में से 13 आश्रम एवं 01 छात्रावास भवन पूर्ण हैं तथा 12 आश्रम एवं 02 छात्रावास अपूर्ण हैं।

सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में रोपित रतनजोत पौधों से उत्पादित रतनजोत

17. (क्र. 474) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कृषि विभाग द्वारा कितनी राशि के रतनजोत के पौधे लगाये गये ? (ख) वर्तमान में दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में इनमें से कितने पौधे जीवित हैं और इन पौधों से कितने रुपये का रतनजोत का बीज उत्पादित किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कृषि विभाग द्वारा रतनजोत पौध रोपण पर निम्नानुसार व्यय किया गया :—

वर्ष (1)	व्यय राशि (रु.) (2)
2005-06	1140224/-
2006-07	3414400/-
योग	45,54,624/-

(ख) उक्त अवधि में रोपित 8,41,787 (आठ लाख इकतालिस हजार सात सौ सत्यासी) पौधों में से 5,26,066 (पांच लाख छब्बीस हजार छैसठ) पौधे वर्तमान में (दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में) जीवित हैं. उत्पादित बीजों का संग्रहण एवं क्रय सामान्यतः उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है एवं इसका रिकार्ड कृषि विभाग, क्रेडा अथवा सी.बी.डी.ए. के पास उपलब्ध नहीं है.

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित 33/11 के.व्ही.ए. के उपकेंद्र

18. (क्र. 493) **श्री राजू सिंह ठाकुर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत 33/11 के.व्ही. के कितने उपकेंद्र स्थापित हैं ? उसमें से कितने 11 के.व्ही. फीडर संचालित हैं एवं उनका अधिकतम भार वर्ष 2009-10 में क्या था ? (ख) प्रश्न “क” अनुसार वर्ष 2009-10 में फीडर पर भार अधिक होने के कारण किन-किन ग्रामों की विद्युत सप्लाई को अस्थायी रूप से उपकेंद्र में शिफ्ट किया गया था ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत 33/11 के.व्ही. के 9 उपकेंद्र यथा गिरधौना, दैजा, जरेली, नेवसा, काठाकोनी, सकरी, चोरभट्टी, सकर्रा एवं नेवरा (मोहनभाटा) स्थापित है. उक्त उपकेंद्रों से कुल 34, 11 के.व्ही. फीडर संचालित हैं. वर्ष 2009-10 में उक्त फीडरों के अधिकतम भार की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) वर्ष 2009-10 में 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र काठाकोनी से निकलने वाले 11 केव्ही कुरैली फीडर में भार अधिक होने से ग्राम कुरैली, कोडापुरी, मेडपार बाजार, ठाकुरकापा एवं सांवाताल की विद्युत आपूर्ति 33/11 केव्ही उपकेंद्र चकरभाटा से निकलने वाले 11 केव्ही सकर्रा फीडर में शिफ्ट किया गया था.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों तथा मजराटोलों का विद्युतीकरण

19. (क्र. 523) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2006-07 से दिनांक 08-07-10 की स्थिति तक कौन-कौन से ग्रामों को मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया गया है और कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2006-07 से दिनांक 08-07-2010 तक मजरा/टोला विद्युतीकरण लक्ष्य के अंतर्गत कुल 96 ग्रामों के 110 मजराटोलों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया है, जिनकी सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है तथा 04 ग्रामों के रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

20. (क्र. 524) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित अनु.जा./अनु.ज.जा. के छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक, लिपिक, भृत्य एवं रसोइयों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ग	छात्रावास				आश्रम											
		स्वीकृत		रिक्त		स्वीकृत		रिक्त									
(1)	(2)	अधी.	लिपि.	भृत्य	रसो.	अधी.	लिपि.	भृत्य	रसो.	अधी.	लिपि.	भृत्य	रसो.				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	अ.ज.जा.	19	0	0	19	06	0	0	0	02	0	0	02	01	0	0	0
2.	अ.जा.	01	0	0	01	0	0	0	0	03	0	0	03	01	0	0	0
योग		20	0	0	20	06	0	0	0	05	0	0	05	02	0	0	0

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में लो-वोल्टेज समस्या के निराकरण

21. (क्र. 526) **श्री चैतराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने गांवों में लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ? (ख) कितने गांवों में ट्रांसफार्मर लगाया जाना है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राज्य गठन के उपरांत 148 ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु 148 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. (ख) वर्तमान में 8 ग्रामों यथा कोदवा, अकोली, गोगीया, आलेसुर, कोनी, दतरेगी, अचानकपुर एवं जमातखाना में 8 वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाना है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप एवं नल-जल योजना की जानकारी

22. (क्र. 527) **श्री चैतराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-06-10 तक कितने हैण्डपंप किस मद से स्वीकृत किये गये तथा किस एजेंसी से कार्य कराया गया ? (ख) क्या यह सच है कि अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा समय पर कार्य नहीं कराया गया ? (ग) वर्ष 2009-10 में कितनी नल-जल योजना स्वीकृत की गई तथा कौन-कौन एजेंसी से कार्य कराने हेतु अनुबंध किया गया.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 30-06-10 तक स्वीकृत एवं किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11 (30-06-2010)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शालाओं में	02	09
2.	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कवरेज	71	52
3.	सूखा राहत	20	20
4.	विधायक निधि मद	00	02
योग		93	83

उपरोक्त स्वीकृत कार्य मेसर्स तारणतरण राजनांदगांव, मेसर्स हाईड्रो ड्रिलर्स रायपुर, मेसर्स सतपुड़ा ड्रिलर्स रायपुर, मेसर्स शिव बोरवेल्स, दुर्ग एवं विभागीय एजेंसी मेकेनिकल खंड, रायपुर से कराया गया. (ख) जी नहीं. (ग) वर्ष 2009-10 में कोई भी नल जल योजना स्वीकृत नहीं की गई.

जिला दुर्ग की नदियों से रेत उत्खनन हेतु प्रदत्त लायसेंस

23. (क्र. 533) **श्री भजनसिंह निरंकारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में स्थित कौन-कौन सी नदियों से रेत उत्खनन हेतु वर्ष 2008 से 2010 तक किन-किन फर्मों को लायसेंस दिया गया है ? (ख) क्या लायसेंस प्राप्त फर्मों द्वारा अवैध रेत उत्खनन तथा परिवहन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध तथा शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक नदी से रेत उत्खनन हेतु किसी भी फर्म को लायसेंस नहीं दिया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बस्तर जिले में विद्युत विहीन ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

24. (क्र. 549) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के विद्युत विहीन ग्रामों की संख्या कितनी है ? विधान सभावार जानकारी दें ? (ख) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट के विद्युतविहीन ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर जिले में वर्तमान में 04 ग्राम यथा विधान सभा क्षेत्र कोंडागांव के ग्राम किरमारी एवं विधान सभा क्षेत्र नारायणपुर के ग्राम अलोरा, मंडोदा तथा किलम विद्युत विहीन है. (ख) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट के सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं. अतः विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता.

जिला बस्तर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति

25. (क्र. 550) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं, विकासखण्डवार बतावें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला बस्तर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या विकासखंडवार निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	रिक्त पदों की संख्या (3)
1.	जगदलपुर	03
2.	लोहण्डीगुड़ा	06
3.	बकावंड	06
4.	बस्तर	03
5.	लोकापाल	07
6.	दरभा	05
7.	बास्तानार	04
8.	कोण्डागांव	09
9.	फरसगांव	04
10.	केशकाल	05
11.	बड़ेराजपुर	04
12.	माकड़ी	04
योग		60

(ख) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्रशर उद्योगों से प्रदूषण पर कार्यवाही

26. (क्र. 578) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा अंतर्गत कितने क्रेशर उद्योग कहां-कहां पर कब-कब से संचालित हैं ? (ख) उक्त क्रेशरों से निकलने वाले स्टोन डस्ट से प्रदूषण को रोकने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा अन्तर्गत 104 क्रेशर उद्योग संचालित हैं. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

सिकासेर बांध में विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित इकाई की क्षमता

27. (क्र. 582) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजिम विधान सभा क्षेत्र में रायपुर जिले के अंतर्गत गरियाबंद ब्लाक में सिकासेर बांध से विद्युत उत्पादन के लिए लगाई गई इकाई की क्षमता कितनी है ? वर्तमान में उससे कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है एवं उत्पन्न विद्युत का वितरण कैसे और किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राजिम विधान सभा क्षेत्र में रायपुर जिले के अंतर्गत गरियाबंद ब्लाक में सिकासेर बांध से विद्युत उत्पादन के लिए 2×3.5 मेगावाट की इकाईयां लगाई गई हैं. बांध से पानी छोड़े जाने की मात्रा के आधार पर इन इकाईयों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है. वर्तमान में बांध से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है. अतः इन इकाईयों से विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है. उत्पन्न विद्युत को वितरण हेतु 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोमा (राजिम) से निकलने वाले 33 के.व्ही. गरियाबंद फीडर में स्थित 33/11 के.व्ही. धवलपुर उपकेन्द्र में विद्युत प्रणाली से जोड़ा गया है. विद्युत प्रणाली से विद्युत का प्रवाह किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है इसकी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.

विकासखंड तिल्दा तथा सिमगा के उद्योगों पर श्रम कानून उल्लंघन के तहत की गई कार्यवाही

28. (क्र. 616) **श्रीमती लक्ष्मी बघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में श्रम विभाग द्वारा रायपुर जिले अन्तर्गत विकासखंड तिल्दा, सिमगा के किन-किन उद्योगों का निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण अधिकारी के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) उल्लेखित अवधि में किए गए निरीक्षण में क्या श्रम कानून का उल्लंघन होना पाया गया ? (ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का नाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में श्रम विभाग द्वारा रायपुर जिले अन्तर्गत विकासखंड तिल्दा, सिमगा में निम्नांकित उद्योगों में निम्नांकित निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया :-

क्र.	श्रम निरीक्षक का नाम	वर्ष 2008-09 में निरीक्षण किये गये उद्योगों का नाम	वर्ष 2009-10 में निरीक्षण किये गये उद्योगों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के. पी. ठाकुर वि. खं. तिल्दा	गुरूनानक इंडस्ट्रीज तिल्दा, सेन्चुरी सीमेंट बैकुंठ, मिलेनियम हाईटेक सरोरा, विमल मिनी स्पंज चिचोली, सिसनिया ब्रेवरेज पीकरीडीह, अग्रवाल सॉ मिल तिल्दा, महेश मिल खरोरा, बोरा गोडाऊन तुलसी, अग्रवाल आयल एक्स्ट्रेक्शन आई.डी.एल. गल्फ बिलाडी चैतन्य साल्वेक्स, खेतान स्पंज आयरन, खरोरा.	मिलेनियम हाईटेक परसदा, अर्श आयरन परसदा, उदय स्पंज भूमिया, के.सी.सी. पोल फैक्ट्री चिचोला, शिवॉज फूड्स नेवरा, श्याम राईस मिल नेवरा, कैलाश राईस मिल नेवरा.
2.	श्री आर. एस. राजपूत		मेसर्स जगदीश कंस्ट्रक्शन द्वारा— ग्रासीम सीमेंट, रवान मे. हाजी ए.पी. बाबा एंड कंपनी द्वारा—ग्रासीम सीमेंट रवान.

(ख) जी हां, न्यूनतम वेतन, मोटर यातायात, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम के उल्लंघन पाये गये. (ग) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रासायनिक खाद भंडारण/वितरण

29. (क्र. 627) **श्री मदन लाल साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010 की खरीफ फसल हेतु दिनांक 30-06-10 की स्थिति में किस-किस रासायनिक खाद की कितनी-कितनी मात्रा में भंडारण/वितरण किया जा चुका है ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कितना भंडारण/वितरण शेष है ? लक्ष्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) दुर्ग जिले के संजारी, बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ 2010 हेतु 30-06-10 की स्थिति में निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों का भंडारण कर वितरण किया गया है :—

(मात्रा मे. टन)			
क्र. (1)	उर्वरक का नाम (2)	भंडारण (3)	वितरण (4)
1.	यूरिया	4166	2720
2.	सुपर फास्फेट	1045	531
3.	डी.ए.पी.	2830	2011
4.	पोटाश	1389	791
5.	12:32:16	1	1
6.	20:20:0:13	361	270
7.	10:26:26	647	20
8.	अन्य	203	92
योग		10642	6436

(ख) संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य भंडारण एवं वितरण निम्नानुसार है :—

(मात्रा मे. टन)				
क्र. (1)	उर्वरक का नाम (2)	लक्ष्य (3)	भंडारण (4)	वितरण (5)
1.	यूरिया	7663	4166	2720
2.	सुपर फास्फेट	2039	1045	531
3.	डी.ए.पी.	5420	2830	2011
4.	पोटाश	2616	1389	791
5.	12:32:16	279	1	1
6.	20:20:0:13	1080	361	270
7.	10:26:26	502	647	20
8.	अन्य	150	203	92
योग		19749	10642	6436

लक्ष्य के अनुरूप उर्वरकों का भंडारण प्रक्रिया जारी है.

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत नल जल योजनाओं की स्थिति

30. (क्र. 629) **श्री मदन लाल साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2008 से दिनांक 30-6-2010 तक कौन-कौन सी नल जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गईं ? (ख) कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण होकर उपयोग में आ रही हैं तथा कौन-कौन सी योजना अपूर्ण हैं ? (ग) अपूर्ण योजनाएं कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार. (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

निजी कंपनियों को अतिरिक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवंटन की अनुशंसा

31. (क्र. 637) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला राजनांदगांव के वन कक्ष क्र. 534 (पी), 535 (पी), 537 (पी) के अंतर्गत किन-किन कंपनियों को अतिरिक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवंटित किए जाने की अनुशंसा कब की गई है?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जिला राजनांदगांव के बोरियातिबू वनक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर क्र. 534 (पी), 535 (पी), 537 (पी) के अंतर्गत कंपनियों को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भारत सरकार खान मंत्रालय को की गई अनुशंसा का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

पशुधन विकास विभाग के उपकरण खरीदी हेतु आमंत्रित निविदा

32. (क्र. 638) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में पशुधन विकास विभाग ने किन-किन उपकरणों की खरीदी के लिए निविदाएं आमंत्रित की ? (ख) कंडिका “क” की निविदाओं में किन-किन फर्म ने भाग लिया ? निविदा में भाग लेने वाले फर्मों में कौन-कौन से फर्म स्वदेशी एवं विदेशी हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2009-10 में पशुधन विकास विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में उपकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है. (ख) आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने वाले फर्म एवं फर्म के स्वदेशी एवं विदेशी संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है.

जिला जांजगीर-चांपा में श्रम पदाधिकारी कार्यालय प्रारंभ करने संबंधी

33. (क्र. 640) **श्री नारायण चंदेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में श्रम पदाधिकारी के कार्यालय संचालित किये जा रहे हैं ? एवं कौन-कौन से जिले में कार्यालय नहीं हैं ? (ख) क्या जिला जांजगीर-चांपा में श्रम पदाधिकारी कार्यालय प्रारंभ करने कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं. कोरिया, कांकेर एवं कवर्धा जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय स्वीकृत हैं, परंतु कार्यालय प्रारंभ नहीं हुआ है. प्रदेश के शेष जिले जशपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में श्रम कार्यालय स्वीकृत नहीं है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय दिनांक 28-5-2008 से ही स्वीकृत होने एवं प्रारंभ होने के कारण प्रश्न का औचित्य उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में प्रदत्त खनिज पट्टों की लीज की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही

34. (क्र. 641) **श्री नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 में किन-किन खनिजों का पट्टा कितने-कितने रकबे का किसे-किसे दिया गया ? (ख) उक्त अवधि में लीज की शर्तों के उल्लंघन के कितने प्रकरण किन-किन लोगों के विरुद्ध दर्ज किये गये एवं उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति

35. (क्र. 648) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली विकासखंड, रायपुर जिले के धरसीवा, अभनपुर, आरंग, तिल्दा एवं सिमगा विकासखंड, दुर्ग जिले के दुर्ग, बेरला, पाटन एवं बेमेतरा विकासखंडों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के स्वीकृत पद एवं इनके विरुद्ध पदस्थ अधिकारियों की संख्या कितनी है ? (ख) महासमुंद जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला महासमुंद, रायपुर एवं दुर्ग का विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :—

जिला महासमुंद	विकासखंड	स्वीकृत पद	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
	महासमुंद	43	21
	बागबाहरा	38	15
	पिथौरा	34	15
	बसना	37	16
	सरायपाली	37	20
	योग	189	87
जिला रायपुर	विकासखंड	स्वीकृत पद	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
	धरसीवा	46	48
	अभनपुर	40	38
	आरंग	51	36
	तिल्दा	46	28
	सिमगा	33	16
	योग	216	166
जिला दुर्ग	विकासखंड	स्वीकृत पद	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
	दुर्ग	30	29
	बेरला	31	12
	पाटन	31	29
	बेमेतरा	22	15
	योग	114	85

(ख) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

शाकम्भरी योजना के तहत अनुदान की पात्रता

36. (क्र. 649) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाकम्भरी योजना के तहत एक ही कृषक को एक से अधिक बार अनुदान पाने की पात्रता है ? (ख) यदि नहीं, तो वर्ष 2007-08 में उपरोक्त योजना के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा एवं बसना विकासखण्ड में कितने कृषकों को एक से अधिक बार अनुदान दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) शाकम्भरी योजनांतर्गत पंप एवं कूप निर्माण के दो घटक हैं तथा एक कृषक को एक घटक में एक ही बार अनुदान दिये जाने का प्रावधान है. (ख) वर्ष 2007-08 में शाकम्भरी योजनांतर्गत महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा एवं बसना विकासखंड के किसी भी कृषक को एक घटक में एक से अधिक बार अनुदान नहीं दिया गया है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 333) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2010 में 30-6-2010 तक प्रदेश में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा
माहवार उत्पादित ऊर्जा का विवरण

(औसत मेगावाट में)

माह (1)	जन.-10 (2)	फर.-10 (3)	मार्च-10 (4)	अप्रैल-10 (5)	मई-10 (6)	जून-10 (7)
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन.	8308.71	8520.45	8434.12	8361.53	8157.93	8198.84

टीप :- 1. चूंकि उत्पादन मिलियन यूनिट में होता है, अतः उसका मेगावाट निकालने के लिये सूत्र है : मेगावाट = $\frac{\text{माहवार उत्पादन मिलियन यूनिट में} \times 1000}{24 \times \text{माह के दिन}}$

2. उपरोक्त में जिंदल इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रा. लि. मौलीगुड़ा, महासमुंद संयंत्र द्वारा ग्रिड में इंजेक्शन ही सम्मिलित है.

प्रपत्र “ब”

वर्ष 2010 में 30-6-2010 तक प्रदेश में माहवार विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरण

(औसत मेगावाट में)

माह (1)	जन.-10 (2)	फर.-10 (3)	मार्च-10 (4)	अप्रैल-10 (5)	मई-10 (6)	जून-10 (7)
विद्युत ऊर्जा का खपत.	4119.44	4161.34	4178.15	4413.73	4105.76	3980.40

टीप :- 1. चूंकि खपत मिलियन यूनिट में होता है, अतः उसका मेगावाट निकालने के लिये सूत्र है : $\text{मेगावाट} = \frac{\text{माहवार खपत मिलियन यूनिट में} \times 1000}{24 \times \text{माह के दिन}}$

2. उपरोक्त में जिंदल इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रा. लि. मौलीगुड़ा, महासमुंद संयंत्र खपत सम्मिलित नहीं है.

प्रपत्र “स”

**वर्ष 2010 में 30-06-2010 तक ओपन एक्सेस के अंतर्गत इकाईयों को दी गई
बिजली बेचने की अनुमति की माहवार एवं इकाईवार जानकारी**

क्र.	इकाई का नाम	ओपन एक्सेस के तहत आफ पीक अवधि में दी गई बिजली बेचने की अधिकतम अनुमति (मेगावाट में)					
		जन.-2010	फर.-2010	मार्च-2010	अप्रैल-2010	मई-2010	जून-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रियल इस्पात एंड एनर्जी लिमि. बोरझरा	12	12	12	12	12	12
2.	जगम्बा पॉवर एंड एलॉएस लिमि. सिलतरा	24	24	24	24	24	24
3.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमि. नाहरपाली, रायगढ़	80	80	80	80	80	80
4.	छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमि. चाम्पा	31	31	31	31	31	31
5.	वन्दना ग्लोबल लिमि. सिलतरा	35	35	35	35	35	35
6.	गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमि. सिलतरा	38	38	38	38	35	38
7.	भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमि. कोरबा पूर्व	265	265	265	265	265	265
8.	श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमि. उरला	18	18	18	21	21	21
9.	आर. आर. इनर्जी लिमि. रायगढ़	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
10.	एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमि. सिलतरा	50	50	50	50	50	50
11.	साडा एनर्जी एंड मिनिरल्स लिमि. सिलतरा	10	10	10	10	10	10
12.	कापॉरिट इस्पात एलॉएस लिमि. सिलतरा	0	0	0	20	20	20
13.	श्री नाकोडा इस्पात लिमि. सिलतरा	15	15	14	15.5	16	15
14.	इंडसील एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमि. सेक्टर-सी, उरला.	10	10	10	10	10	10
15.	महिन्द्रा स्पंज एंड पॉवर प्रा. लि. सिलतरा	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5
16.	रश्मी स्पंज ऑयरन एंड पॉवर इन्डस्ट्रीज लिमि. सिलतरा.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
17.	वासवानी इन्डस्ट्रीज लिमि. सिलतरा	6.6	6.6	6.5	7.2	7.2	7.2
18.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमि. रायपुर	35	35	35	35	35	35
19.	हीरा फेरो एलॉएस लिमि. हीरा-पुल, रायपुर	19	19	19	13	17	19
20.	हीरापॉवर एंड स्टील पॉवर हीरा-पुल, रायपुर	19	19	19	10	19	19
21.	आलोक फेरो एलॉएस लिमि. हीरा-पुल, रायपुर	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
22.	अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमि. सुहेला	5	5	8.5	8.2	8.2	8.5
23.	अरोरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव. कार्पो. लिमि. विश्रामपुर	9	9	9	9	9	9
24.	सेसासैला पॉवर एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि. चांपा	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	0
25.	सांई केमिकल्स प्रा. लि. सोमनी	5	5	5	5	5	5
26.	एमएसपी स्टील एंड पॉवर लिमि. रायगढ़	6	6	6	10	10	10
27.	महावीर एनर्जी एंड कोल बेनीफिकेसन लिमि. घरघोडा	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
28.	जयबालाजी इंडस्ट्रीज लिमि. रसमड़ा	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
29.	सालासार स्टील एंड पॉवर लिमि. रायगढ़	13	13	13	13	13	13
30.	इण्ड सेनर्जी लिमि. लोइंग, रायगढ़	6	6	6	6	8	8
31.	जिन्दल इलेक्ट्रिसिटी जनरेसन प्रा. लि. बागबाहरा	6	6	6	7.1	6	7.1 मे. वा.

केवल दि. 02-
06-10 के लिये
6 मे. वा. दि.
04-06-10 से
18-06-10
तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32.	गोपाल स्पंज एंड पावर प्रा. लि. सिलतरा		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
33.	अरसमेटा केप्टिव पावर कंपनी लिमि. अकलतरा		16	16	16	18	18
34.	क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्रा. लिमि. सोमनी				6	6	6
35.	जीआर स्पंज एंड पावर प्रा. लि. सिलतरा				4	4	4
36.	श्री बजरंग मेटालिक्स एंड पावर लिमि. बोरझरा					12	12
37.	एनएसपीसीएल, भिलाई	77	77	77	67.5	49.14	49.14
कुल		853.40	871.90	874.80	889.60	888.64	893.34/ 892.24

परिशिष्ट “दो”
[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 402) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	कंपनी का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)	परियोजना का प्रस्तावित स्थल	पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद.	1200	ग्राम-सिंघीतराई तहसील-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा.	प्राप्त
2.	मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई.	1440	ग्राम-उचपिन्दा जिला-जांजगीर-चांपा.	प्राप्त
3.	मेसर्स वर्धा पावर (के. एस. के.) हैदराबाद.	3600	ग्राम-नारियारा तहसील-अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा.	प्राप्त
4.	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, भोपाल.	1100	ग्राम-बड़ा डरहा तहसील-डभरा जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
5.	मेसर्स ए. सी. वी. इण्डिया लि. नई दिल्ली.	600	ग्राम-कटसिरा, दर्री, भराकुडा, जिला-कोरबा ग्राम-हैदासपुर जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
6.	मेसर्स भूषण पावर एण्ड स्टील लि. नई दिल्ली.	1000	ग्राम-धुरकोट, डुमरपाली, कोमो एवं कौली जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
7.	मेसर्स जैन एनर्जी लि. कोलकाता.	1200	ग्राम-उमरेली/अमालदिहा दर्राभटा टूण्डा/सिवनी जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
8.	मेसर्स मोजरबेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. नई दिल्ली.	1320	ग्राम-बिर्रा, सिलादेही जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
9.	मेसर्स चंबल इन्फ्रास्ट्रक्चर वेन्चर्स लि. नई दिल्ली.	1200	ग्राम-कौली, बाराडरहा जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
10.	मेसर्स सूर्यचक्र पावर को. लि. हैदराबाद.	270	ग्राम-सापोस, छबारीपाली जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
11.	मेसर्स एस्सार पावर लि. नई दिल्ली.	1200	ग्राम-शंकरपाली, कबीरपाली, कोतमी जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	मेसर्स इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमि.	1200	ग्राम-पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
13.	मेसर्स भूषण एनर्जी लिमिटेड, नई दिल्ली.	1000	ग्राम-पंडरीकला, पंडरीखुर्द जिला-जांजगीर-चांपा.	स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में.
14.	मेसर्स के. वी. के. पावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. हैदराबाद.	600	ग्राम-भैसो, झूलन, चण्डीपारा, कोषिर जिला-जांजगीर-चांपा.	स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में.
15.	मेसर्स श्याम सेन्चुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कोलकाता	600	ग्राम-रीसदा, नवागांव, मुक्तराज, भगोडिह जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
16.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. नई दिल्ली.	1320	ग्राम-बालपुर/रेवापुर जिला-जांजगीर-चांपा.	-
17.	मेसर्स टोरेन्ट पावर लि. अहमदाबाद.	1200	ग्राम-धाराशिव, नवागांव जिला-जांजगीर-चांपा.	-
18.	मेसर्स आधुनिक थर्मल एनर्जी लि. कोलकाता.	1000	ग्राम-कुटा डेहरा जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
19.	मेसर्स सोना पावर प्रा. लि.	1200	ग्राम-सलखाम, मुडपार जिला-जांजगीर-चांपा.	-
20.	मेसर्स इण्ड-भारत एनर्जी लि. हैदराबाद.	600	ग्राम-सेरो, बडासागर तह.-मालखरोद जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
21.	मेसर्स बी. पी.एल. लि. बैंगलोर.	300	ग्राम-हरदी जिला-जांजगीर-चांपा.	-
22.	मेसर्स लाडर्स पावर प्रा. लि. रायपुर.	70	ग्राम-मुडापार जिला-जांजगीर-चांपा.	राज्य स्तर पर पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
23.	मेसर्स कर्नाटका पावर का. लि. बैंगलोर.	1600	ग्राम-गोधना जिला-जांजगीर-चांपा.	वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में.
24.	मेसर्स ए. टी. इस्पात एण्ड पावर लि. रायपुर.	35	ग्राम-पुछैली जिला-जांजगीर-चांपा.	-
25.	मेसर्स डी. सी. एम. श्रीराम कनसोलिडेटेड लि. नई दिल्ली.	600	ग्राम-हरदीहरी धाराशिव, रोगदा जिला-जांजगीर-चांपा.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि. नागपुर.	1200	ग्राम-बक्सरा, हैदासपुर जिला-जांजगीर-चांपा.	-
27.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर कंपनी लिमिटेड रायपुर.	1000	ग्राम-मड़वा जिला-जांजगीर-चांपा.	एम. ओ. यू. नहीं किया गया. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त.
28.	मेसर्स अरसमेटा केप्टिव पावर कंपनी प्रा. लिमि. (फेस-2).	43	ग्राम-गोपालनगर जिला-जांजगीर-चांपा.	एम. ओ. यू. नहीं किया गया. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त.
29.	मेसर्स श्री श्याम वेयरहाउसिंग एण्ड पावर (प्रा.) लिमि.	10	ग्राम-बनारी, नैला जिला-जांजगीर-चांपा.	एम. ओ. यू. नहीं किया गया. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त.

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 276) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	छात्रावास का नाम (2)	स्थान (3)	स्वीकृत सीट (4)
1.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	गुण्डरदेही	20
2.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	20
3.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	भाटागांव बी	20
4.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	भाटागांव आर	20
5.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	भीमकन्हार	30
6.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	घीना	20
7.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	सुरेगांव	20
8.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	20
9.	पो. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	50
योग			220

प्रपत्र “ब”

छात्रावासों में दी जाने वाली सुविधाएं

- 0 आश्रम एवं प्री. मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को रु. 450 प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एवं निःशुल्क आवास व्यवस्था अंतर्गत पलंग, गद्दा, चादर, कंबल, खाना बनाने एवं खाने के बर्तन, बिजली/पानी की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उपलब्धता अनुसार क्रीडा सामग्री एवं पत्र पत्रिकाएं भी प्रदान की जाती है।
- 0 पो. मैट्रिक छात्रावासों के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार पोस्ट मैट्रिक दर पर छात्रवृत्ति के साथ-साथ रु. 200 प्रतिमाह की दर से भोजन सहाय योजना की राशि एवं आगमन भत्ता योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में रु. 800, द्वितीय वर्ष में रु. 250 एवं तृतीय वर्ष में रु. 200 की वार्षिक सहायता राशि दी जाती है। आगमन भत्ता का लाभ लेने वाले पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को गद्दा, कंबल, चादर एवं थाली गिलास की पात्रता नहीं होती है।
- 0 उपलब्ध वित्तीय प्रावधान अंतर्गत विभागीय छात्रावास में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा एवं विशेष शिक्षण केन्द्र योजना के तहत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी इत्यादि कठिन विषयों के लिए कोचिंग कक्षा की भी सुविधा प्रदान की जाती है।
- 0 ऐसे छात्रावास जहां मुख्यालय स्थल पर शासकीय चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध न हो उनके विद्यार्थियों को “स्वस्थ तन स्वस्थ मन” योजना अंतर्गत प्रायवेट चिकित्सको के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 633) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

**हसदेव अरण्ड कोलफील्ड्स के भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्लीयरेंस प्राप्त नहीं
कोल ब्लॉक से संबंधित कंपनियों की सूची**

क्र.	कोल ब्लॉक का नाम जिन्हें क्लीयरेंस प्राप्त नहीं हुआ है	कोल ब्लॉक से संबंधित कंपनियों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	तारा कोल ब्लॉक (सरगुजा)	मे. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
2.	गिदमुरी (कोरबा)	मे. छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर
3.	पतुरिया (कोरबा)	मे. छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर
4.	मदनपुर नार्थ (कोरबा)	मे. मदनपुर नार्थ कोल कंपनी लिमिटेड (12 कंपनियों की संयुक्त गठित कंपनी) 1. मे. अल्ट्राटेक, रायपुर 2. मे. सिंघल इंटरप्राइजेस लिमिटेड 3. मे. नवभारत कोलफील्ड्स लिमि. 4. मे. वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा. लि. 5. मे. प्रकाश इण्ड. लिमि. 6. मे. अंजनी स्टील प्रा. लि. 7. कन्सोर्टियम आफ- (1) मे. इस्पात गोदावरी लि. (2) मे. वंदना ग्लोबल लि. (3) मे. इण्ड सिनर्जी लि. (4) मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. (5) मे. नाकोड़ा इस्पात लि. 8. मे. सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड
5.	मदनपुर साऊथ (कोरबा)	मे. मदनपुर साऊथ कोल कंपनी लिमिटेड (10 कंपनियों की संयुक्त गठित कंपनी) 1. मे. हिंदुस्तान जिंक लि. 2. मे. अक्षय इन्वेस्टमेंट कंपनी लि. 3. मे. छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड 4. मे. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लि. 5. मे. एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड 6. कन्सोर्टियम आफ- (1) मे. इस्पात गोदावरी लि. (2) मे. वंदना ग्लोबल लि. (3) मे. इण्ड सिनर्जी लि. (4) मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. (5) मे. नाकोड़ा इस्पात लि.
6.	परसा (सरगुजा)	मे. छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रायपुर

(1)	(2)	(3)
7.	परसा (ईस्ट) (सरगुजा)	मे. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर
8.	कांटेबासन (सरगुजा)	मे. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर
9.	नाकिया-I & II (कोरबा एवं सरगुजा)	मे. छत्तीसगढ़ केपिटव कोल मायनिंग लिमि. (05 कंपनियों की संयुक्त गठित कंपनी) (1) मे. इस्पात गोदावरी लि. (2) मे. इण्ड सिनर्जी लि. (3) मे. नाकोड़ा इस्पात लि. (4) मे. वंदना ग्लोबल लि. (5) मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड
10.	मोरगा-I (कोरबा)	मे. मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पो., भोपाल
11.	मोरगा-II (कोरबा)	मे. गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पो., लि.
12.	मोरगा-III (कोरबा)	मे. मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पो., लिमिटेड
13.	मोरगा-IV (कोरबा)	मे. मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पो., भोपाल
14.	चोटिया-II (कोरबा)	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
15.	पिण्डूाखी एवं पूटा परोगिया (सरगुजा)	मे. अकलतरा पावर लिमिटेड

प्रपत्र “ब”

प्रश्नांश- “क” के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में स्थापित (चालू) औद्योगिक इकाई/पावर प्लांट की क्षमता, संचालन की वर्तमान स्थिति तथा अस्तित्व की जानकारी

क्र.	कंपनी का नाम	स्थापित औद्योगिक इकाई/पावर प्लांट का स्थल	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाई/पावर प्लांट	स्थापित क्षमता	वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं	दिनांक 1-4-2010 की स्थिति में पार्टी के अस्तित्व की जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मे. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट करपोरेशन लिमिटेड, रायपुर	-	-	-	सीएसईबी द्वारा प्रेमनगर, सरगुजा में प्रस्तावित 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना को तारा कोल ब्लॉक से कोयला सप्लाई किया जाएगा.	अस्तित्व में है.
2.	मे. छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रायपुर.	-	-	-	भैयाथान सरगुजा में प्रस्तावित 1320 मेगावाट विद्युत परियोजना के लिए गिदमुरी एवं पतुरिया कोल ब्लॉक का कोयला तथा प्रस्तावित मड़वा ताप विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट के लिए परसा कोल ब्लॉक के कोयला का उपयोग किया जाएगा.	अस्तित्व में है.
3.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड.	ग्राम हिरमी, जिला रायपुर	सीमेंट	27.5 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
4.	मे. सिंघल इंटरप्राइजेस लिमिटेड.	ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़.	केप्टिव पावर स्पंज आयरन	8.00 मेगावाट 1.50 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
5.	मे. नवभारत कोलफील्ड्स लिमि.	-	-	-	मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड का ग्राम रायकोट, जिला बस्तर में 60000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के स्थापित स्पंज आयरन प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाएगा.	अस्तित्व में है.
6.	मे. वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा. लि.	-	-	-	ग्राम छुरीखुर्द, जिला कोरबा में 70 मेगावाट के प्रस्तावित पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाएगा.	अस्तित्व में है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	मे. प्रकाश इण्ड लिमि., ग्राम चाम्पा, जिला- जांजगीर-चांपा.	चांपा जिला- जांजगीर-चांपा.	स्पंज आयरन ब्लूम एण्ड बिलेट्स केप्टिव पावर	4.00 लाख टन 5.60 लाख टन 100 मेगावाट	हां.	अस्तित्व में है.
8.	मे. अंजनी स्टील प्रा. लि.	ग्राम उज्जवलपुर, जिला रायगढ़	स्पंज आयरन केप्टिव पावर इन्गोट्स	1.08 लाख टन 12 मेगावाट 0.72 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
9.	मे. इस्पात गोदावरी लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर.	ग्राम सिलतरा जिला रायपुर	स्पंज आयरन स्टील एण्ड वायर ड्राइंग फैरो एलायस केप्टिव पावर	5.00 लाख टन 6.67 लाख टन 0.16 लाख टन 44 मेगावाट	हां.	अस्तित्व में है.
10.	मे. वंदना ग्लोबल लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर.	ग्राम सिलतरा, जिला रायपुर	स्पंज आयरन केप्टिव पावर इंगोट्स बिलेट्स, फैरो एलायस	2.20 लाख टन 44 मेगावाट 1.12 लाख टन 0.18 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
11.	मे. इण्ड एग्री सिनर्जी लिमिटेड.	ग्राम कोटमार, जिला रायगढ़	स्पंज आयरन इंगोट्स बिलेट्स, केप्टिव पावर कोल वाशरी	3.00 लाख टन 1.40 लाख टन 22 मेगावाट 7.20 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
12.	मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि.,	ग्राम बोरझरा, जिला रायपुर	स्पंज आयरन स्टील बिलेट्स, केप्टिव पावर फैरो एलायस	2.10 लाख टन 1.29 लाख टन 26 मेगावाट 0.14 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
13.	मे. नाकोड़ा इस्पात लि. सिलतरा रायपुर.	ग्राम सिलतरा, जिला रायपुर	स्पंज आयरन केप्टिव पावर एम. एस. इन्गोट	0.66 लाख टन 18 मेगावाट 0.86 लाख टन	हां.	अस्तित्व में है.
14.	मे. सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील लिमि. भण्डारा रोड, जिला- भण्डारा (महाराष्ट्र).	-	-	-	छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की इकाई.	अस्तित्व में है.
15.	मे. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चन्देरिया राजस्थान.	-	-	-	छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की इकाई.	अस्तित्व में है.
16.	मे. अक्षय इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	-	-	-	ग्राम जोरातराई, जिला राजनांदगांव में प्रस्तावित 0.90 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के स्पंज आयरन संयंत्र में उपयोग किया जाएगा.	अस्तित्व में है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	मे. छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	ग्राम आमझर, जिला-जांजगीर-चांपा	पावर	30 मेगावाट	हां.	अस्तित्व में है.
18.	मे. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमि. (नया नाम सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमि.) सिलतरा रायपुर.	ग्राम सिलतरा, जिला रायपुर	स्पंज फेरा एलायज केप्टिव पावर	2.1 लाख टन 0.87 लाख टन 50 मेगावाट	हां.	अस्तित्व में है.
19.	मे. एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड	ग्राम जामगांव जिला रायगढ़	स्पंज आयरन इंगाट्स/बिलेट्स केप्टिव पावर	1.80 लाख टन 0.96 लाख टन 16 मेगावाट	हां.	अस्तित्व में है.
20.	मे. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर (राजस्थान)	-	-	-	छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की इकाई.	अस्तित्व में है.
21.	मे. मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पो. भोपाल.	-	-	-	छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की इकाई.	अस्तित्व में है.
22.	मे. गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.	-	-	-	छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की इकाई.	अस्तित्व में है.
23.	मे. अकलतरा पावर लिमिटेड (नया नाम छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड).	-	-	-	ग्राम सलका, खम्हरिया जिला सरगुजा में प्रस्तावित 4000 मेगावाट विद्युत परियोजना.	अस्तित्व में है.

प्रपत्र "स"

छत्तीसगढ़ में पूर्व से आवंटित कोल ब्लॉक में स्वीकृत खनिपट्टों के संबंध में उत्खनन एवं रायल्टी इत्यादि की जानकारी

क्रमांक	कंपनी का नाम जिसे खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है	कोल ब्लॉक का विवरण जिसके लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है/डिपाजिट	उत्खनन प्रारम्भ दिनांक	उत्खनित कोयला का विवरण			
				वर्ष	उत्पादन (टन में)	जमा रायल्टी (रुपये में)	शेष रायल्टी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड.	जिला कोरबा, तहसील कटघोरा स्थित चोटिया-I कोल ब्लॉक डिपाजिट 42.54 मिलियन टन.	जुलाई, 2006	2006-07	625153.00	5313069.00	राशि शेष नहीं.
				2007-08	900004.00	90426543.00	
				2008-09	918666.00	100989877.00	
				2009-10	918386.00	102667069.00	
				2010-11	259854.00	29586235.00	
		(दिनांक 30-6-2010 तक)					
				महायोग	3622063.00	328982793.00	
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड.	जिला रायगढ़, स्थित गारेपेलमा- IV/7 कोल ब्लॉक डिपाजिट 67.14 मिलियन टन.	21 जनवरी, 2009	2008-09	निरंक	निरंक	राशि शेष नहीं.
				2009-10	180193.00	20403938.00	
				2010-11	178474.00	17270000.00	
				(दिनांक 30-6-2010 तक)			
				महायोग	358667.00	33673938.00	

परिशिष्ट “पांच ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 412) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

मजरा/टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-6-2010 तक में आरंग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों, जिनके मजरो/टोलों का विद्युतीकरण किया गया है, की वर्षवार जानकारी

क्रमांक (1)	गांव का नाम (2)	विद्युतीकरण वर्ष (3)
1.	चोरहाडीह	2008-09
2.	पचेड़ा	2008-09
3.	पलौद	2008-09
4.	नगपुरा	2008-09
5.	कोसरंगी	2008-09
6.	भोथली	2008-09
7.	खपरी	2008-09
8.	पिरदा	2008-09
9.	बोड़रा	2008-09
10.	गुखेरा	2008-09
11.	घोट	2008-09
12.	खमतराई	2008-09
13.	केशला के बजरंग	2008-09
14.	इल्दा	2008-09
15.	चिंगरीया	2008-09
16.	तिल्दा डीह	2008-09
17.	भैसमुड़ी	2008-09
18.	बोरीद	2008-09
19.	पाराभाठ	2008-09
20.	खमरीया	2008-09
21.	गौरभाठ	2008-09
22.	ओड़का	2008-09
23.	कुकरा	2008-09
24.	नारा	2008-09
25.	चटौद	2008-09
26.	बनरसी	2008-09
27.	कठिया	2008-09
28.	चिचा	2008-09
29.	कुरूद	2008-09
30.	परसखोल	2008-09
31.	अकोली कला	2008-09
32.	देवरी	2008-09
33.	बाना	2008-09
34.	अकोली खुर्द (बोहारडीह)	2008-09
35.	नकटी कुम्हारी	2008-09
36.	कनकी	2008-09

(1)	(2)	(3)
37.	अमेरी	2008-09
38.	समेरीया	2008-09
39.	धौरा भाठा	2008-09
40.	धोर भट्टी	2008-09
41.	डुम्हा	2008-09
42.	सकरी	2008-09
43.	करमा (अछोली)	2008-09
44.	कुरूद	2008-09
45.	खपरीखुर्द	2008-09
46.	मादाडीह	2008-09
47.	गुल्लू	2008-09
48.	मधईपुर	2008-09
49.	बरछा	2008-09
50.	रावनभाठा	2008-09
51.	रीको	2008-09
52.	बकतरा	2008-09
53.	तोड़गांव	2008-09
54.	बरभाठा	2008-09
55.	बोरीद	2008-09
56.	छतौना	2009-10
57.	टेमरी	2009-10

प्रपत्र "ब"

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 30-6-2010 तक
विद्युतीकृत किए गए मजरा/टोलों की जानकारी**

क्रमांक (1)	गांव का नाम (2)	विद्युतीकरण वर्ष (3)
1.	कलई	2009-10
2.	रसनी	2009-10
3.	ओडका	2009-10
4.	रायकाट	2010-11
5.	अखोनीखुर्द	2010-11
6.	समोद	2010-11
7.	गुल्का	2010-11
8.	कोड़ापार	2010-11
9.	अमेठी	2010-11
10.	रानीसागर	2010-11
11.	कुसमुद	2010-11
12.	गुदगुदा	2010-11
13.	चपरीद	2010-11
14.	परसकोल	2010-11
15.	देवरी	2010-11

प्रपत्र "स"

**आरंग विकासखण्ड में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में लगाये गये
अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की ग्रामवार जानकारी**

क्रमांक (1)	गांव का नाम (2)	विद्युतीकरण वर्ष (3)
1.	आरंग (ब्राम्हन पारा)	2008-09
2.	नगपुरा	2008-09
3.	अमेरी	2008-09
4.	पिरदा	2009-10
5.	पांहदा	2009-10
6.	खमतराई	2009-10
7.	मोखला	2009-10
8.	गुल्लू	2009-10
9.	चंदखुरी	2009-10
10.	जुगेसर	2009-10
11.	चंदखुरी बस्ती	2009-10
12.	मुगेसर	2009-10
13.	चकवे	2009-10
14.	पिपरहट्टा	2009-10
15.	मुलगी	2009-10
16.	लखौली	2009-10
17.	बोहारडीह	2009-10
18.	सेमरिया	2009-10
19.	खमतराई	2009-10

परिशिष्ट “छः”
[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 519) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	संस्था का नाम	विकासखण्ड	लाभान्वितों की संख्या	
			बालक	बालिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(अ) आश्रम शाला				
1.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम बुचाटोला	छुरिया	45	-
2.	आदिवासी कन्या आश्रम कुहीकला	छुरिया	-	33
3.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	अंबागढ़ चौकी	50	-
4.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम चिल्हाटी	अंबागढ़ चौकी	-	50
5.	आदिवासी कन्या आश्रम कौड़ीकसा	अंबागढ़ चौकी	-	50
6.	आदिवासी कन्या आश्रम मक्के	अंबागढ़ चौकी	-	50
7.	आदिवासी कन्या आश्रम केसरीटोला	अंबागढ़ चौकी	-	50
8.	संयुक्त आदिवासी आश्रम बुटाकसा	अंबागढ़ चौकी	25	25
योग			120	258

(ब) प्री. मैट्रिक छात्रावास

1.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छुरिया	छुरिया	-	40
2.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुरिया	छुरिया	20	-
3.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कुमर्दा	छुरिया	50	-
4.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गोडलवाही	छुरिया	33	-
5.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास उमरवाही	छुरिया	-	35
6.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छुरिया	छुरिया	-	50
7.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक-1 मा. शाला.	अंबागढ़ चौकी	50	-
8.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक -2	अंबागढ़ चौकी	25	-
9.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आतरगांव	अंबागढ़ चौकी	08	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिल्हाटी	अंबागढ़ चौकी	30	-
11.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोरचाटोला	अंबागढ़ चौकी	20	-
12.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बांधाबाजार	अंबागढ़ चौकी	24	-
13.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाटोला	अंबागढ़ चौकी	20	-
14.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास माहूद	अंबागढ़ चौकी	20	-
15.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला	अंबागढ़ चौकी	50	-
16.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कौड़ीकसा	अंबागढ़ चौकी	40	-
17.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा	अंबागढ़ चौकी	-	50
18.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जादूटोला	अंबागढ़ चौकी	-	17
19.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	अंबागढ़ चौकी	-	20
20.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास आतरगांव	अंबागढ़ चौकी	-	19
21.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास परसाटोला	अंबागढ़ चौकी	-	50
22.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरचाटोला	अंबागढ़ चौकी	-	50
23.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छछानपहरी	अंबागढ़ चौकी	-	50
योग			390	381

(स) पो. मैट्रिक छात्रावास

1.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुरिया	छुरिया	25	-
2.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	अंबागढ़ चौकी	50	-
3.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला	अंबागढ़ चौकी	35	-
4.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	अंबागढ़ चौकी	-	50
5.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जादूटोला	अंबागढ़ चौकी	-	20
योग			110	70
महायोग			620	709

प्रपत्र "ब"

स्वयं के भवन में संचालित संस्थाओं की जानकारी

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)
1.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुरिया
2.	आदिवासी कन्या आश्रम कौड़ीकसा
3.	आदिवासी कन्या आश्रम मक्के
4.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक-1 मा. शाला
5.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक-2
6.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिल्हाटी
7.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बांधाबाजार
8.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाटोला
9.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला
10.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कौड़ीकसा
11.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा
12.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 75) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

प्रदेश में हीरे (किम्बरलाइट) की संभावित उपलब्धता हेतु चिन्हित किये गये क्षेत्रों का विवरण

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	ब्लॉक का नाम (3)
1.	जशपुर, रायगढ़, सरगुजा	ईब-मैनी
2.	रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद, रायपुर	सारंगढ़
3.	रायपुर, महासमुंद	पिथौरा
4.	रायपुर, धमतरी	बेहराडीह
5.	उत्तर बस्तर कांकेर, दुर्ग, धमतरी, बस्तर,	कांकेर-केशकाल
6.	उत्तर बस्तर कांकेर, बस्तर, नारायणपुर	नारायणपुर-लंजोर
7.	बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर	छोटा डोंगर
8.	बस्तर, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, बीजापुर	तोकापाल

प्रपत्र “ब”

हीराधारित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

क्र. (1)	कक्ष क्रमांक (2)	वन प्रबंध समिति का नाम (3)	वन प्रबंध समिति सदस्यों/वन चौकीदार की संख्या (4)
1.	1078	बेहराडीह	08
2.	1104	कोदोमाली	15
3.	11	पायलीखंड	09

हीराधारित क्षेत्र में सुरक्षा के लिये “केपिंग हट” के निर्माण कार्य हेतु रुपये 49.91 लाख बस्तर विकास प्राधिकरण के मद से स्वीकृत करते हुए कलेक्टर आदिवासी विकास रायपुर के द्वारा वनमंडलाधिकारी उदन्ती वन मण्डल गरियाबंद को प्रदाय किया गया है :-

उपरोक्त के अतिरिक्त सुरक्षा हेतु निम्न कार्यवाही भी की गई है :-

- (1) बेहराडीह हीराधारित क्षेत्र के चारों ओर फैसिंग कर क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है.
- (2) पायलीखंड हीराधारित क्षेत्र में फैसिंग कराया गया है.

प्रपत्र "स"

अवैध उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों का विवरण

क्र.	शिकायत पत्र पत्र प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	30-09-2009	श्री धनेन्द्र साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस भवन गांधी चौक रायपुर.	तहसील मैनपुर के ग्राम पायलीखंड स्थित हीरा खदान क्षेत्र में अवैध खुदाई कर चोरी किये जाने की घटना बाबत.	पायलीखंड, बेहराडीह एवं देवभोग क्षेत्र में बहुमूल्य खनिज के अवैध उत्खनन की जांच वन, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा की गई. विभागवार की गई कार्यवाही की जानकारी उतरांग "ग" से संबंधित प्रपत्र "द" पर दर्शित है.
2.	23-10-2009 महामंत्री जिला कांग्रेस	श्री सुरेश मिश्रा, प्रभारी स्थित हीरा खदान क्षेत्र में अवैध कमेटी, ग्रामीण रायपुर छत्तीसगढ़.	तहसील मैनपुर के ग्राम पायलीखंड उत्खनन की शिकायत बाबत.	हीराधारित क्षेत्र में सुरक्षा के लिये "केपिंग हट" के निर्माण कार्य हेतु रुपये 49.91 लाख बस्तर विकास प्राधिकरण के मद से स्वीकृत करते हुए कलेक्टर आदिवासी विकास रायपुर के द्वारा वनमंडलाधिकारी उदन्ती वन मण्डल गरियाबंद को प्रदाय किया गया है.
3.	30-10-2009	श्री डमरूधर पुजारी, विधायक बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र क्रमांक-55.	बेशकीमती अलेक्जेंडर/किम्बर लाईट (हीरा) खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध एवं पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने बाबत.	

प्रपत्र “द”

विभागवार की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र. (1)	अपराध दर्ज क्रमांक व धारा (2)	दिनांक (3)	नाम आरोपी (4)	की गई कार्यवाही का विवरण (5)
गृह विभाग				
1.	245/09 379, भादवि 4(21)माईनिंग एक्ट	26-10-09 के 15.00 बजे	नवीन कुमार पिता धनराज अग्रवाल उम्र 32 साल सा. धरगढ़ थाना धरमगढ़, उड़ीसा.	दि. घ. स. को आरोपी घटना स्थल सेन्दुमुड़ी में 6 नग कीमतीपत्थर चोरी करते पकड़ा गया. प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.
वन विभाग				
2.	1874/18	19-10-2009	मगधर वल्द बलीराम 40 अन्य, बरदुला.	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 518/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
3.	1874/19	20-10-2009	सागर एवं एक अन्य सागर/सुखचंद गोड़, बरदुला.	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 513/09 के तहत दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
4.	1874/20	21-10-2009	हुमन/रामसिंग गोड़, बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 512/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
5.	1875/08	22-10-2009	अंकालू/बनवाराम महार एवं एक अन्य डुमरघाट.	दिनांक 22-10-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 547/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
6.	1874/21	22-10-2009	सागर/सुखचंद एवं एक अन्य बरदुला.	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 517/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
7.	1874/22	23-10-2009	गोलू वल्द तुलाराम एवं तीन अन्य बोईगांव	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 515/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
8.	2425/11	24-10-2009	फुलसिंग वल्द जुगरू गोड़ बरदुला दो अन्य.	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 514/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
9.	2425/10	24-10-2009	सागर वल्द सुखचंद बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 516/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	1874/23	24-10-2009	जागेश्वर/पुरारद गोंड बरदुला	दिनांक 22-10-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 548/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
11.	2425/12	24-10-2009	मंशाराम/अगनू राम गोंड बरदुला.	दिनांक 22-10-2009 को न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 549/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
खनिज विभाग				
12.	एफ. आई. आर. क्रमांक 243/09 धारा 379, 34 आई. पी. सी., 4/21	24-10-2009	श्री अशोक बाघ पिता श्री रामेश्वर बाघ उम्र 35 वर्ष निवासी सागबाहली थाना खोखसरा जिला कालाहण्डी (उड़ीसा) श्री भवानी शंकर पिता सुकुल सिंग नायक उम्र 40 वर्ष निवासी सागबाहली थाना खोखसरा जिला कालाहण्डी (उड़ीसा)	दिनांक 24-10-2009 को सहायक खनि अधिकारी, रायपुर द्वारा एफ. आई. आर. क्रमांक 243/09 धारा 379, 34 आई. पी. सी., खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत दर्ज किया गया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
13.	प्रकरण क्रमांक 3/9	27-10-2009	अज्ञात व्यक्ति ग्राम पायलीखण्ड	ग्राम पायलीखण्ड किम्बरलाईट क्षेत्र से 02 बोरी मिट्टी जप्त किया गया. रासायनिक परीक्षण हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर को भेजा गया है.

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 247) के भाग (ख) की जानकारी]

विभिन्न संस्थाओं तथा इकाईयों को विक्रय की जा रही बिजली एवं द्रवों का विवरण

क्रमांक	संस्था/इकाई का नाम	जनवरी-2010		फरवरी-2010		मार्च-2010		अप्रैल-2010		मई-2010		जून-2010	
		आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)	आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)	आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)	आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)	आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)	आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा (मि. यू. में)	दर (रु./यूनिट)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	पॉवर एक्सचेंज	82.62	2.52	75.52	2.62	19.17	4.55	10.09	8.60	25.91	4.15	142.37	3.46
2.	यू. आई. माध्यम से							121.01	6.70	203.93	3.33	235.69	3.06
3.	बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि.,			2.10	5.10	73.74	5.21	36.00	6.50	74.40	6.50		
4.	न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल.									12.80	7.00	14.38	6.50
5.	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मुम्बई.									12.45	7.50		
6.	बीएसईएस राजधानी दिल्ली.	41.36	6.00							0.47	7.13		
7.	आन्ध्रप्रदेश पॉवर परचेज कोऑर्डिनेशन कमेटी.					26.84	5.43					0.40	4.00
8.	उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लि.											0.80	4.50
9.	तमिलनाडू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	8.71	5.05	17.44	5.05							5.17	6.25
10.	राजस्थान पॉवर प्रोजेक्ट्स लि.	59.45	6.82	34.18	6.82	6.66	6.82					33.60	3.50
		12.96	5.54	6.04	4.30	14.88	5.54						
		21.48	3.99										
11.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.			9.41	5.50	9.30	5.60						

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 20) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड, वर्षवार, ग्रामवार कृषकों की संख्या जिन्हें नलकूप खनन हेतु अनुदान भुगतान किया गया है (दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में)

क्र.	विकासखंड क्षेत्र के ग्रामों का नाम	वर्ष 2007-08 में कृषकों की संख्या	वर्ष 08-09 में कृषकों की संख्या	वर्ष 09-10 में कृषकों की संख्या	वर्ष 2010-11 में 30-06-2010 की स्थिति में कृषकों की संख्या	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

विकासखंड-अकलतरा

1.	फरहदा	3	0	0	0	3
2.	करुमहूं	0	2	0	0	2
3.	सांकर	10	6	0	0	16
4.	लिलवाडीह	2	0	0	0	2
5.	परसदा	2	0	0	0	2
6.	पोंडीदल्हा	4	0	0	0	4
7.	अकलतरा	0	2	0	0	2
8.	नरियरा	3	1	0	0	4
9.	पड़रिया	2	0	3	0	5
10.	सोनादुला	1	2	0	0	3
11.	किरारी	1	0	0	0	1
12.	कोटगढ़	2	0	0	0	2
13.	मधुवा	1	0	0	0	1
14.	कोटमीसोनार	0	3	0	0	3
15.	रसेड़ा	0	1	0	0	1
16.	भैंसतरा	3	2	0	0	5
17.	बरगवां	0	1	0	0	1
18.	सरईगुहन	0	1	0	0	1
19.	हरदी	0	2	0	0	2
20.	कटघरी	0	1	0	0	1
21.	पिपरदा	0	0	1	0	1
22.	कटनई	1	0	0	0	1
23.	कापन	0	1	0	0	1
24.	खटोला	0	0	3	0	3
25.	अमलीपाली	0	0	13	0	13
26.	सोनडीह	0	0	5	0	5
27.	बम्हनी	1	1	0	0	2
28.	बिरकोनी	0	1	0	0	1
29.	परसाहीनाला	0	1	0	0	1
30.	पौना	0	0	0	1	1
31.	करहीडीह	1	1	0	0	2
32.	तागा	1	0	0	0	1
33.	अमरताल	1	0	0	0	1
34.	खिसोरा	1	0	0	0	1
35.	महमदपुर	0	1	0	0	1
36.	परसाहीबाना	0	1	0	0	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विकासखंड-बलौदा						
37.	बलौदा	2	3	0	0	5
38.	चारपारा	2	0	3	0	5
39.	सुल्तानार	0	0	4	3	7
40.	नवापारा (ब)	0	1	1	0	2
41.	रसौटा	0	0	2	1	3
42.	डोंगरी	2	1	1	0	4
43.	कोरबी	1	0	0	0	1
44.	भिलाई	0	0	5	1	6
45.	बहेराडीह	1	0	0	0	1
46.	जावलपुर	2	0	0	0	2
47.	पंतोरा	1	0	0	0	1
48.	बक्सरा	3	0	0	0	3
49.	हेडसपुर	2	0	0	0	2
50.	अंगारखार	1	0	0	0	1
51.	गतवा	0	0	1	0	1
52.	छीतापाली	0	0	1	0	1
53.	करमंदा	2	0	0	0	2
54.	बैजलपुर	0	0	1	0	1
55.	मदनपुर	0	0	1	0	1
56.	जर्वे (ब)	2	2	0	0	4
57.	औराईकला	0	1	0	0	1
58.	खैजा	0	1	0	0	1
59.	ठड़गाबहरा	0	0	1	0	1
60.	बिरगहनी (ब)	0	0	0	1	1
61.	बुड़गहन	2	1	1	1	5
62.	दहकोनी	1	0	0	0	1
63.	बछौद	0	0	2	0	2
64.	झर्राडीह	0	0	0	1	1
65.	बेलंदियाडीह	0	1	0	0	1
66.	कैराकछार	0	0	1	0	1
योग		64	42	50	9	165

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 194) के भाग (क) की जानकारी]

विभिन्न फर्म/कंपनियों को वर्षवार आवंटित कोल ब्लॉक का विवरण

वर्ष 2008

क्र.	आवंटिती कंपनी का नाम	आवंटित कोल ब्लॉक का नाम	कोल ब्लॉक स्थित जिले का नाम	कोयला मंत्रालय का आवंटन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स फतेहपुर ईस्ट कोल प्रायवेट लिमि. (05 कंपनियों की संयुक्त रूप से गठित कंपनी). 1. मे. जे. एल. डी. यवतमाल एनर्जी लिमिटेड. 2. मे. आर. के. एम. पावरजेम प्रायवेट लिमिटेड. 3. मे. वीसा पावर लिमिटेड 4. मे. ग्रीन इंफ्रा. प्राय. लि. 5. मे. वंदना विद्युत लिमि.	फतेहपुर ईस्ट	जिला रायगढ़	क्र 38011/1/2007-सीए-1 दिनांक 22 जनवरी, 2008.
2.	1. मे. एस. के. एस. इस्पात लिमिटेड 2. मे. प्रकाश इण्ड. लि.	फतेहपुर	जिला रायगढ़	क्र 38011/1/2007-सीए-1 दिनांक 06 फरवरी, 2008.
3.	मे. भास्करपारा कोल कंपनी लिमिटेड, रायपुर (02 कंपनियों की संयुक्त रूप से गठित कंपनी). 1. मे. इलेक्ट्रोथर्म प्राय. लि. 2. मे. ग्रासिम इण्ड. लिमि.	भास्करपारा	जिला सरगुजा	क्र 13016/54/2008-सीए-1 दिनांक 21 नवम्बर, 2008.
4.	मेसर्स गोवा इण्डस्ट्रीयल कार्पो. लिमिटेड, पणजी गोवा.	गारेपेलमा-III	जिला रायगढ़	क्र 38039/14/2008-सीए-1 दिनांक 12 नवम्बर, 2008.
5.	मेसर्स राठी उद्योग लिमिटेड 1/3 खिरकी ग्राम नई दिल्ली.	केसला नार्थ	जिला कोरबा	क्र. 38011/2/2007-सीए-1 दिनांक 05 अगस्त, 2008
6.	मेसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड	दतिमा	जिला कोरिया	क्र. 38011/2/2007-सीए-1 दिनांक 05 सितम्बर, 2008.
वर्ष 2009				
7.	1. मे. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमि. 2. मे. टापवर्थ स्टील प्राय. लिमिटेड	रजगामार दिपसाईड (दक्षिण फुल्काडीह नाला)	जिला कोरबा	क्र. 13016/71/2008-सीए-1 दिनांक 03 जून, 2009.
8.	मेसर्स अकलतरा पावर लिमिटेड	पिण्ड्राखी एवं पूटा परोगिया	जिला सरगुजा	क्र. 13016/19/2007-सीए-1 दिनांक 09 सितम्बर, 2009.
	वर्ष 2010 (दिनांक 8-7-2010 तक)	निरंक		

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र.568) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सरगुजा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में योजनाओं के अंतर्गत हैण्डपंप/नलकूप हेतु खनन कार्य की स्वीकृति एवं खनन

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		रिमार्क
		स्वीकृति	खनन	स्वीकृति	खनन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के अन्तर्गत एन. सी. स्लिप बेक/पी. सी. स्लिप बेक.	2530	1258	-	-	
2.	एन. आर. डी. डब्ल्यू. पी.	-	-	1520	1579	
3.	ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. शाला.	68	68	-	-	

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र.574) के भाग (क) की जानकारी]

**रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत खनित ट्यूब वेल के स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु
ग्रामवार आवेदनों की संख्या**

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)	आवेदनों की संख्या (4)
1.	सारंगढ़	टिमरलगा	2
2.		सुवाताल	2
3.		डोंगिया	1
4.		बंजारी	1
5.		बंजारी/धौराभांठा	1
6.		गोड़म	1
7.		विश्वासपुर	1
8.		मौहापाली	2
9.		मानिकपुर	3
10.		ठाकुरदिया	3
11.		टांगर	2
12.		छातादेई	1
13.		दानसरा	2
14.		कटेली	1
15.		गंजाईभौना	1
16.		पिपरदा	1
17.		घटोरा	2
18.		सारंगढ़	7
19.		सहसपुर	1
20.		कोतरी	1
21.		गोढ़ियारी	1
22.		टेंगनापाली	1
23.		रापाबुला	1
24.		बेलटिकरी	1
25.		परसदा	2
26.		सराईपाली	1
27.		कटेकोनी	1
28.		छिन्द	1
29.		रामटेक	3
30.		हसौद	1
31.		नरेशनगर	1
32.		भैजनाथ	1
33.		खम्हारपाली	1
34.		रेंगालमुड़ा	1
35.		खोखसीपाली	4
36.		परसापाली	1
37.		तेंदूहार	1
38.		छिन्चपाली	1
39.		माजरमाटी	1
40.		गोड़ा	1

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	सारंगढ़	कपरतुंगा	2
42.		परसकोल	1
43.		माधोपाली	1
44.		सोड़िका	1
45.		भड़ीसाह	1
46.		भदरा	2
47.		बटाउपाली	1
48.		सिंघनपुर	1
49.		बरदुला	1
50.		कोसिर	5
51.		उच्चभिठी	1
52.		सोनादुला	1
53.		नवरंगपुर	1
54.		हिरी	1
55.		जेवरा	2
56.		गायदरहा	1
57.		लीमगांव	1
58.		मौहाढोढा	1
59.		नेकाईनटार	1
60.		मुड़पार छोटे	1
61.		बरभांठा	4
62.		पाकरडीह	1
63.	बरमकेला	झनकपुर	3
64.		सिंगारपुर	1
65.		कमरीद	2
66.		बरमपुरा	1
67.		कंठीपाली	1
68.		हिरी	3
69.		खोरीगांव	2
70.		बड़े नवांपारा	2
71.		बुंदेली	2
72.		मेंडरा	1
73.		प्रधानपुर	2
74.		कटंगजोरी	1
75.		तौसीर	4
76.		स्वातकुट	2
77.		कटंगपाली	2
78.		बारदावन	2
79.		झाबड़	1
80.		लोधिया	8
81.		पुरैना	3
82.		खपरापाली	1
83.		संडा	7
84.		मुंगलीपाली	4
85.		गिरहुलपाली	1
86.		गोबरसिंधा	21
87.		मारोदरहा	6

(1)	(2)	(3)	(4)
88.	बरमकेला	नावापाली	1
89.		रोहिनापाली	2
90.		कंचनपुर	2
91.		आमापाली	1
92.		छिन्दपतेरा	1
93.		दानीघाटी	1
94.		धौरादरहा	1
95.		गोपालपुर	2
96.		खैरट	1
97.		तलगाटार	1
98.		करनपाली	2
99.		लिजिर	3
100.		नूनपाली	2
101.		रंगाडीह	3
102.		शकरतुंगा	4
103.		चिंगरीडीह	1
104.		कमलापाली	1
105.		चारभांठा	2
106.		डोंगरीपाली	1
107.		बरपाली	3
108.		जलगढ़	5
109.		बार	21
110.		देवगांव	6
111.		जामपाली	1
112.		छेवारीपाली	1
113.		बोरे	6
114.		नाचनपाली	1
115.		कोसमडीह	1
116.		अर्मुरा	2
117.		कांदुलपाली	2
118.		महराजपुर	1
119.		सूखापाली	1
120.		कंडोला	4
121.		पंचधर	3
122.		छोटेनवापारा	1
123.		बुदबुदा	1
124.		नंदीगांव	2
125.		लिपती	8
126.		सरिया	25
127.		सांकरा	2
128.		बोंदा	14
129.		नवघट्टा	7
130.		बरगांव	1
131.		भीखमपुरा	2
132.		बिलाईगढ़	15
133.		छेलफोरा	2
134.		पिहरा	18

(1)	(2)	(3)	(4)
135.	बरमकेला	दादरपाली	2
136.		धोबनीपाली	4
137.		साल्हेओना	10
138.		लुकापारा	2
139.		भठली	1
140.		जयपुर	1
141.		तोरा	3
142.		सहजपाली	2
143.		बेंगची	2
144.		दीवानपाली	1
145.		लीमपाली	1
146.		पतेरापाली	1
147.		बनवासपाली	2
148.		बडे केनाभाठा	1
149.		जोरापाली	1
150.		डभरा	1
151.		लेंघ्रा	1
152.		जामजोरी	1
153.		साजापाली	1
154.		परसरामपुर	1
		कुल	404

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 546) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र. (1)	विस्फोटक पदार्थ लायसेंसी का नाम/पता (2)	भंडारित स्थल का पता (3)	खदान के ग्राम का नाम (4)	लायसेंस स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी (5)	लायसेंस क्रमांक (6)
1.	श्रीमति कुसुम तुलसयान गीदम रोड़ जगदलपुर.	ग्राम बडांजी थाना लोहंडीगुडा	बडांजी	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/297 {E 37985}
2.	श्रीमति उषा के. राजपुरिया मेनरोड जगदलपुर.	ग्राम राजूर थाना परपा	राजूर	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/96 {E 9790}
3.	श्रीमति मोरला पदमावति वृन्दावन कालोनी जगदलपुर.	ग्राम छोटेकड़मा थाना कोडेनार	छोटेकड़मा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/312 {E 37700}
4.	श्री मंगराज खत्री संतोषी वार्ड जगदलपुर.	ग्राम राजूर थाना परपा	राजूर	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/303 {E 38059}
5.	श्री रेखचंद जैन मोतीतालाब पारा जगदलपुर.	ग्राम छोटेकड़मा थाना कोडेनार	छोटेकड़मा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/284 {E 32703}
6.	श्री दिलीप बाफना वृन्दावन कालोनी जगदलपुर.	ग्राम कोयपाल थाना परपा	राजूर	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/329 {E 37626}
7.	श्री रफीक खान मोतीतालाब पारा जगदलपुर.	ग्राम छोटेकड़मा	छोटेकड़मा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/329 {E 32715}
8.	श्री संदीप कुमार पारख नयापारा जगदलपुर.	ग्राम छोटेकड़मा थाना कोडेनार	छोटेकड़मा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/329 {E 38803}
9.	श्रीमति मनीषा हेमाणी बोधघाट जगदलपुर.	ग्राम छोटेकड़मा थाना कोडेनार	छोटेकड़मा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/412 {E 46956}
10.	श्री पंकज अग्रवाल बोधघाट जगदलपुर	ग्राम धुरागांव थाना लोहाण्डीगुड़ा	धुरागांव	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/343 {E 46959}
11.	श्री गुलजार सिंह गीदम रोड जगदलपुर	ग्राम कोडेनार थाना कोडेनार	कोडेनार	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/371 {E 46172}
12.	श्री बली नागवंशी सन सिटी लालबाग जगदलपुर.	ग्राम छापरभानपुरी थाना लोहण्डीगुड़ा	छापरभानपुरी	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा.	E/CC/CG/22/376 {E 48899}

परिशिष्ट “चौदह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 212) के भाग (क) की जानकारी]

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अर्न्तगत संचालित पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों में स्वीकृत तथा कार्यरत एवं रिक्त पदों की केन्द्रवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बेरला	(1) पशु चिकित्सालय, बेरला	प. चि. स. शल्यज्ञ स. प. चि. क्षे. अधि. पट्टीबंधक परिचारक स्व./परि./चौकी.	1 2 1 1 1	1 2 1 1 -	- - - - 1
		(1) पशु औषधालय, हरदी	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	- 1 -	1 - 1
		(2) पशु औषधालय, सरदा	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 -	- - 1
		(3) पशु औषधालय, हसदा	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 1	- - -
		(4) पशु औषधालय, सिरसा	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 -	- - 1
		(5) पशु औषधालय, मनियारी	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 1	- - -
		(6) पशु औषधालय, पांहदा	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 1	- - -
		(7) पशु औषधालय, लावातरा	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	- 1 -	1 - 1
		(8) पशु औषधालय, आनन्दगांव	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	- 1 -	1 - 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	बेमेतरा	(1) पशु चिकित्सालय, बेमेतरा	प. चि. स. शल्यज्ञ स. प. चि. क्षे. अधि. पट्टीबंधक परिचारक स्व./परि./चौकी.	1 2 1 1 1	1 2 1 1 -	- - - - 1
		(1) पशु औषधालय, पेन्ड्रीतराई	स. प. चि. क्षे. अधि. परिचारक स्व./परि./चौकी	1 1 1	1 1 -	- - 1
योग				39	28	11

परिशिष्ट “पंद्रह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 237) के भाग (ख) की जानकारी]

जनवरी 2008 से जुलाई 2010 तक खसरा नंबरों पर उत्खनन का कार्य की जानकारी

विकासखण्ड का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
मैनपाट	82/17, 1015/1, 1133, 1015/8, 82/26, 82/27, 111, 112, 113, 1007/24, 1090, 18/1, 224/1, 30/19, 129/8, 127/4, 121/4, 121/29	30.089
कुसमी	691, 589, 89 1476, 44, 180, 203, 513, 201, 383, 382, 212, 213, 222, 229/1, 230, 1/22, 380, 381, 369, 659, 1451, 1470, 461/2, 149, 177, 183, 376/1, 202, 514, 54, 506, 226, 194, 195, 219, 192, 232, 281/1, 510, 509, 93, 737, 91, 175, 172, 161 2, 179/3, 179/2846, 846/1209, 220/1, 323, 513, 514	70.221
योग		100.31

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सोलह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 173) के भाग (क) की जानकारी]

महासमुन्द जिले में दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में विद्युत पम्प कनेक्शनों एवं कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाए जाने के लंबित कार्य की संभावित संख्या

क्र.	विवरण	संभाग का नाम		कुल
		महासमुन्द (3)	सरायपाली (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विस्तार कार्य हेतु लंबित पम्पों की संख्या	1471	729	2200
2.	ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु लंबित पम्पों की संख्या	226	391	617
3.	उक्त विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु प्रस्तावित ट्रांसफार्मर की संख्या.	44	68	112

परिशिष्ट “सत्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 195) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

(इकाई मात्रा क्विं. में)

क्र.	शासकीय बीज प्रक्षेत्र/जिला	धान		
		कुल उत्पादित कच्चा बीज की मात्रा	फाउण्डेशन बीज के रूप में निर्धारण (पैकड) बीज की मात्रा	मंडी/समिति में विक्रय बीज मात्रा (अंडर साईज)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कृषि विभाग प्रक्षेत्र				
1.	अर्जुनी/रायपुर	753.90	635.40	85.75
2.	गरियाबंद/रायपुर	790.30	498.90	97.66
3.	खरौंबिलारी/रायपुर	511.96	312.60	128.31
4.	मोहगांव/दुर्ग	971.20	328.80	0.00
5.	भवरमरा/राजनांदगांव	609.70	328.80	161.13
6.	सुरगी/राजनांदगांव	385.50	258.60	47.67
7.	बरतुंगा/महासमुन्द	717.00	540.90	0.00
8.	चोरभट्टी/बिलासपुर	0.00	0.00	0.00
9.	लोहारी/कोरिया	930.00	834.00	0.00
10.	अमेठी/रायगढ़	1255.00	942.30	0.00
11.	बेहरामार/रायगढ़	160.00	117.60	0.00
12.	लखनपुर/कोरबा	185.50	142.10	0.00
13.	रगजा/जांजगीर	1141.00	993.30	0.00
14.	कांकेर/कांकेर	226.90	190.50	24.80
15.	पखांजूर/कांकेर	1881.60	1578.30	178.01
16.	केरलापाल/जगदलपुर	528.70	438.30	55.70
17.	चलतासीतापुर/सरगुजा	218.55	180.60	0.00
योग		11266.81	8321.00	779.03
बीज निगम प्रक्षेत्र				
1.	पोखरा/रायपुर	2281.45	1830.60	0.00
2.	रूआबांधा/दुर्ग	822.35	620.70	0.00
3.	मरौद/धमतरी	1223.60	1063.50	0.00
4.	शिवपुरी/राजनांदगांव	609.95	329.40	0.00
5.	बोईरदादर/रायगढ़	175.00	138.60	0.00
6.	धरमपुरा/बिलासपुर	937.75	654.30	0.00
7.	गेऊर/सरगुजा	696.34	550.50	0.00
8.	खोखसा/जांजगीर	1104.75	459.00	0.00
9.	कोकामुण्डा/जगदलपुर	776.30	687.60	0.00
योग		8627.49	6334.20	0.00
महायोग		19894.30	14655.20	779.03

परिशिष्ट “अट्टारह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 419) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि का विवरण

क्र. (1)	वर्ष (2)	राशि (रुपये में) (3)
1.	वर्ष 2007-08	2,78,82,091.00
2.	वर्ष 2008-09	5,03,07,355.00
3.	वर्ष 2009-10	6,90,40,687.00

प्रपत्र "ब"

विकास खण्ड आरंग के ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	कराये गये कार्य (3)	क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	कराये गये कार्य (3)
1.	चन्द्रखुरी	आंगनबाड़ी भवन	37.	देवरतिल्दा	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.
2.	नरहदा	2-आंगनबाड़ी भवन	38.	भानसोज	आंगनबाड़ी भवन
3.	सेमरिया	आंगनबाड़ी भवन	39.	कुकरा	आंगनबाड़ी भवन
4.	धनसुली	आंगनबाड़ी भवन	40.	खौली	2-आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
5.	धनसुली	आंगनबाड़ी भवन	41.	जरौद	आंगनबाड़ी भवन
6.	पचेडा	आंगनबाड़ी भवन	42.	फरफौद	2-आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
7.	मुनगेसर	2-आंगनबाड़ी भवन	43.	गोढी	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.
8.	नगपुरा	आंगनबाड़ी भवन	44.	सिवनी	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
9.	चटौद	2-आंगनबाड़ी भवन	45.	अकोलीखुर्द	आंगनबाड़ी भवन
10.	बड़गांव	आंगनबाड़ी भवन	46.	गुल्लू	2-आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
11.	टेकारी	आंगनबाड़ी भवन	47.	अमेठी	आंगनबाड़ी भवन
12.	परसदा	आंगनबाड़ी भवन	48.	अमेठी	आंगनबाड़ी भवन
13.	धमनी	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	49.	देवरी	आंगनबाड़ी भवन
14.	बकतरा	आंगनबाड़ी भवन	50.	परसकोल	आंगनबाड़ी भवन
15.	उमरिया	आंगनबाड़ी भवन	51.	भोथली	आंगनबाड़ी भवन
16.	कोटनी	आंगनबाड़ी भवन	52.	अकोलीकला	आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
17.	रीवा	3-आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	53.	गुमा	2-आंगनबाड़ी भवन
18.	संडी	आंगनबाड़ी भवन	54.	पारागांव	2-आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.
19.	भंडारपुरी	आंगनबाड़ी भवन	55.	बाना	आंगनबाड़ी भवन
20.	बिरबिरा	आंगनबाड़ी भवन	56.	कोसरंगी	आंगनबाड़ी भवन
21.	मजिठा	आंगनबाड़ी भवन	57.	परसदा	आंगनबाड़ी भवन
22.	अछौली	आंगनबाड़ी भवन	58.	बनरसी	2-आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
23.	देवरतिल्दा	आंगनबाड़ी भवन	59.	मंदिरहसौद	7-आंगनबाड़ी भवन
24.	अछौली	आंगनबाड़ी भवन	60.	बरौदा	आंगनबाड़ी भवन
25.	भैंसमुण्डी	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	61.	पलौद	3-आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान.
26.	डुम्हा	आंगनबाड़ी भवन	62.	नवागांव	आंगनबाड़ी भवन
27.	रीको	आंगनबाड़ी भवन	63.	राखी	आंगनबाड़ी भवन
28.	खोरसी	आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.	64.	रानीसागर	आंगनबाड़ी भवन
29.	कोरासी	आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.	65.	चीचा	आंगनबाड़ी भवन
30.	भटिया	आंगनबाड़ी भवन	66.	नवागांव	आंगनबाड़ी भवन
31.	भटिया	आंगनबाड़ी भवन	67.	गनौद	आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र.
32.	सकरी	आंगनबाड़ी भवन			
33.	अमसेना	आंगनबाड़ी भवन			
34.	सकरी	आंगनबाड़ी भवन			
35.	भण्डारपुरी	आंगनबाड़ी भवन			
36.	भैंसा	आंगनबाड़ी भवन			

क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	कराये गये कार्य (3)	क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	कराये गये कार्य (3)
68.	कुहेरा	आंगनबाड़ी भवन	85.	बोरिद	आंगनबाड़ी भवन
69.	कायाबांध	आंगनबाड़ी भवन	86.	लाखौली	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.
70.	कुरुद	आंगनबाड़ी भवन	87.	कुटेला	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान.
71.	समोदा	2-आंगनबाड़ी भवन	88.	नारा	उप स्वास्थ्य केन्द्र
72.	कागदेही	आंगनबाड़ी भवन	89.	मालीडीह	उप स्वास्थ्य केन्द्र
73.	परसदा	आंगनबाड़ी भवन	90.	कुरुद-कुटेला	उप स्वास्थ्य केन्द्र
74.	चिखली	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	91.	चरौदाहाट	उप स्वास्थ्य केन्द्र
75.	चिपरीद	2-आंगनबाड़ी भवन,	92.	डिघारी	उचित मूल्य की दुकान
76.	कुसमुंद	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	93.	घोरभट्टी	उचित मूल्य की दुकान
77.	तुलसी	2-आंगनबाड़ी भवन	94.	पिरदा	उचित मूल्य की दुकान
78.	रानीसागर	आंगनबाड़ी भवन	95.	जरौद क	उचित मूल्य की दुकान
79.	रसौटा	आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	96.	राटाकाट	उचित मूल्य की दुकान
80.	अमोदी	आंगनबाड़ी भवन	97.	कोसमखुंटा	उचित मूल्य की दुकान
81.	रसनी	आंगनबाड़ी भवन	98.	गिधवा	उचित मूल्य की दुकान
82.	बोडरा	2-आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान.	99.	नवागांवखुर्द	उचित मूल्य की दुकान
83.	तुलसी	आंगनबाड़ी भवन	100.	कोडापार	उचित मूल्य की दुकान
84.	भंडारपुरी	आंगनबाड़ी भवन	101.	खुंटेरी	उचित मूल्य की दुकान
			102.	धौराभाठा	उचित मूल्य की दुकान

प्रपत्र "स"

वर्ष 2007-08, 2008-09 में विकासखण्ड आरंग की जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों को वितरण हेतु जिला पंचायत रायपुर को आवंटित रायल्टी राशि की जानकारी

क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वर्ष 2007-08 (3)	वर्ष 2008-09 (4)
1.	पारागांव	45000.00	9000.00
2.	मंदिरहसौद	12119068.00	18886312.00
3.	नवागांव (खुटेरी)	1258500.00	1458000.00
4.	बहनाकाड़ी	2729713.00	3730815.00
5.	धनसूली	4881682.00	7960130.00
	अकोलीडीह (धन)	409770.00	2451150.00
6.	नरदहा	3204190.00	5916884.00
7.	पचेड़ा	1364408.00	1200229.00
8.	गनौद	67500.00	2057000.00
9.	बिरबिरा	22500.00	206000.00
10.	लखौली	367500.00	594000.00
11.	चटौद	97500.00	45000.00
12.	परसदा	30000.00	990210.00
13.	करमंदी	15000.00	18000.00
14.	मुनगी	4500.00	49500.00
15.	तोड़गांव	9000.00	36000.00
16.	हरदी	22500.00	44125.00
17.	राखी	9000.00	27000.00
18.	कागदेही	36000.00	45000.00
19.	दरबा	457500.00	42000.00
20.	उमरिया	495000.00	0.00
21.	देवदा	180000.00	0.00
22.	अमोदी	11260.00	0.00
23.	धौराभांठा	45000.00	0.00
24.	पलौद	0.00	1000000.00
25.	रिको	0.00	1550000.00
26.	सेंध	0.00	500000.00
27.	कुहेरा	0.00	780000.00
28.	गुजरा	0.00	666000.00
29.	छतौना	0.00	9000.00
30.	गोढ़ी	0.00	36000.00
	योग	27882091.00	50307355.00

परिशिष्ट “उन्नीस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 520) के भाग (ख) की जानकारी]

राजनांदागांव जिले की खरीफ 2009 में फसल बीमा की जानकारी

तहसील	फसल	बीमित कृषक संख्या	लाभान्वित होने वाले कृषक संख्या	भुगतान योग्य दावा राशि (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खैरागढ़	धान असिंचित	18561	18561	170228044
	धान सिंचित	2698	2698	36657770
	सोयाबीन	3886	0	0
	योग	25145	21259	206885814
राजनांदागांव	धान असिंचित	16088	16088	58251378
	धान सिंचित	1414	1414	4424656
	सोयाबीन	3	0	0
	योग	17505	17502	62676034
मोहला	धान असिंचित	5686	5686	3776699
	धान सिंचित	6	0	0
	योग	5692	5686	3776699
डोंगरगढ़	धान असिंचित	19614	19614	4381353
	धान सिंचित	896	0	0
	सोयाबीन	331	0	0
	योग	20841	19614	4381353
डोंगरगांव	धान असिंचित	13553	0	0
	धान सिंचित	608	608	1871578
	सोयाबीन	3	0	0
	योग	14164	608	1871578
छुईखदान	धान असिंचित	9122	9122	14594241
	धान सिंचित	4925	4925	1323430
	सोयाबीन	18	0	0
	योग	14065	14047	15917671
अंबागढ़ चौकी	धान असिंचित	10729	10729	5566454
	धान सिंचित	70	0	0
	योग	10799	10729	5566454

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मानपुर	धान असिंचित	4504	0	0
	योग	4504	0	0
छुरिया	धान असिंचित	27768	27768	85866426
	धान सिंचित	148	148	740016
	योग	27916	27916	86606442
	योग जिला	1,40,631	1,17,361	38,76,82,045

परिशिष्ट “बीस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 624) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के विद्यालयों में शुद्ध पेयजल एवं प्रसाधन सुविधा की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक (हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पेयजल व्यवस्था				
1.	जैजैपुर	157	51	8
2.	मालखरौदा (भाग)	44	16	3
3.	बम्हनीडीह (भाग)	53	32	3
योग		254	99	14
प्रसाधन की सुविधा				
1.	जैजैपुर	52	36	5
2.	मालखरौदा (भाग)	29	20	3
3.	बम्हनीडीह (भाग)	43	29	3
योग		124	85	11

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 185) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	भवन विहिन छात्रावास/आश्रम का नाम (2)	विकास खंड (3)
(अ) पोस्ट मैट्रिक छात्रावास		
1.	पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, बागबाहरा	बागबाहरा
2.	पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, पिथौरा	पिथौरा
3.	पो. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, पिथौरा	पिथौरा
4.	पो. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, सरायपाली	सरायपाली
(ब) प्री. मैट्रिक छात्रावास		
1.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, तेन्दूकोना	बागबाहरा
2.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, बागबाहरा	बागबाहरा
3.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, खल्लारी	बागबाहरा
4.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, देवरी	बागबाहरा
5.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, बागबाहरा	बागबाहरा
6.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, बोड़रीदादर	बागबाहरा
7.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, खम्हरिया	बागबाहरा
8.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, तेन्दूकोना	बागबाहरा
9.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, मोंगरापाली	बागबाहरा
10.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, हाथीबाहरा	बागबाहरा
11.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, गढ़फूलझर	बसना
12.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, भंवरपुर	बसना
13.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, बड़ेसाजापाली	बसना
14.	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास, खोकसा	बसना
15.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, बसना	बसना
16.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, बिछिया	बसना
17.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, गढ़फूलझर	बसना
18.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, भूकेल	बसना
19.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, भंवरपुर	बसना
20.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, बड़ेसाजापाली	बसना
21.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, नरतौरा	महासमुन्द
22.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, नरतौरा	महासमुन्द
23.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, भोरिंग	महासमुन्द
24.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, पटेवा	महासमुन्द
25.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, महासमुन्द	महासमुन्द
26.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, सल्डीह	पिथौरा
27.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, सांकरा	पिथौरा
28.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, बम्हनी	पिथौरा
29.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, बुंदेली	पिथौरा
30.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, सावित्रीपुर	पिथौरा
31.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, पथरला	पिथौरा
32.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, रूढ़ा	सरायपाली
33.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, पझरापाली	सरायपाली

(1)	(2)	(3)
34.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, कलेण्डा	सरायपाली
35.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, अमरकोट	सरायपाली
36.	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास, बिरकोल	सरायपाली
37.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, मल्दामाल	सरायपाली
38.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, तोषगांव	सरायपाली
39.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, तोषगांव	सरायपाली
40.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, सरायपाली	सरायपाली
41.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, सरायपाली	सरायपाली
42.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास, बलौदा	सरायपाली

(स) आश्रम शाला

1.	आदिवासी कन्या आश्रम, खोकसा	बसना
2.	आदिवासी कन्या आश्रम, सागुनढाप	पिथौरा
3.	आदिवासी कन्या आश्रम, बम्हनी	पिथौरा
4.	आदिवासी कन्या आश्रम, पिरदा	पिथौरा
5.	आदिवासी बालक आश्रम, अमरकोट	सरायपाली
6.	आदिवासी बालक आश्रम, टेमरी	सरायपाली
7.	आदिवासी कन्या आश्रम, छुईपाली (सिंघोड़ा)	सरायपाली
8.	आदिवासी कन्या आश्रम, डुडुमचुंवा	सरायपाली

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 259) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विकासखंडवार अनुदान प्राप्त किसानों की संख्या

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	वर्ष 2009-10			2010-11 (माह जून, 10 तक)		
		बीज (3)	खाद (4)	कृषि यंत्र (5)	बीज (6)	खाद (7)	कृषि यंत्र (8)
1.	रायगढ़	7287	137	124	6660	175	136
2.	खरसिया	8575	173	154	7044	375	46
3.	तमनार	3386	177	169	3630	438	48
4.	सारंगढ़	6481	144	110	6605	170	49
5.	बरमकेला	8456	137	99	7993	282	72
6.	पुसौर	7357	342	315	6418	145	6
7.	धरमजयगढ़	5259	282	274	7098	848	99
8.	घरघोड़ा	3688	186	157	4202	590	36
9.	लैलूंगा	4481	220	209	6505	590	68
योग		54970	1798	1611	56155	3613	560

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009-10

क्र.	योजना का नाम	बीज														
		अनुदान पर वितरित बीज				प्रदर्शन/मिनी किट में वितरित बीज				खाद						
		लक्ष्य मात्रा (क्व.) (3)	पूर्ति मात्रा (क्व.) (4)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (5)	प्रदर्शन/मिनी किट में वितरित बीज लक्ष्य मात्रा (संख्या/क्व.) (6)	पूर्ति मात्रा (क्व.) (7)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (8)	लक्ष्य मात्रा (संख्या/क्व.) (9)	पूर्ति मात्रा (क्व.) (10)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (11)	प्रदर्शन/मिनी किट में वितरित बीज लक्ष्य मात्रा (संख्या/क्व.) (12)	पूर्ति मात्रा (क्व.) (13)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (14)	लक्ष्य मात्रा (संख्या/क्व.) (15)	पूर्ति मात्रा (क्व.) (16)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (17)
1.	मेक्रोमैनेजमेंट योजना	500	2926.00	4650	16/130.6	130.60	16	630.60	3056.60	4666	11/40.00	40.00	11	90	166	166
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	18720.00	20956.86	16055	4497/523.12	523.12	4497	19243.12	21479.98	20552	9/1630.00	1630.00	940	940	940	940
3.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.	-	-	-	388/23.28	23.28	388	23.28	23.28	388	388/462.00	462.00	388	505	505	505
4.	माडा पाकेट योजना	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-
6.	बिरहोर योजना	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-
7.	आइसोपाम योजना	718.00	206.00	2007	11797/475.63	475.63	11797	1193.63	681.63	13804	9/40.00	40.00	9	-	-	-
8.	बीज ग्राम योजना	254.00	254.00	1649	-	-	-	254.00	254.00	1649	-	-	-	-	-	-
9.	अक्ली बीज संवर्धन योजना	11160.00	11639.00	13436	-	-	-	11160.00	11639.00	13436	-	-	-	-	-	-
10.	राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम (आत्मा)	-	-	-	475/103.76	103.76	475	103.76	103.76	475	450/165.70	165.70	450	-	-	-
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत "हरित क्रांति विस्तार योजना".	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	-
योग		31352.00	35981.86	37797	17173/1256.39	1256.39	17173	32608.39	37238.25	54970	1798/2337.70	1798	1535	1611	1611	1611
					1256.39						2337.70					

वर्ष 2010-11 (माह जून 2010 तक)

क्र.	योजना का नाम	बीज															
		अनुदान पर वितरित बीज				प्रदर्शन/मिनी फिट में वितरित बीज				योग				खाद			
		लक्ष्य मात्रा (विव.) (18)	पूर्ति मात्रा (विव.) (19)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (20)	प्रदर्शन/मिनी फिट में वितरित बीज लक्ष्य मात्रा (संख्या/विव.) (21)	पूर्ति मात्रा (विव.) (22)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (23)	लक्ष्य मात्रा (विव.) (24)	योग पूर्ति मात्रा (विव.) (25)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (26)	प्रदर्शन पूर्ति मात्रा (विव.) (27)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (28)	खाद लक्ष्य मात्रा (संख्या) (29)	कृषि यंत्र पूर्ति मात्रा (संख्या) (30)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (31)	लाभान्वित कृषक (संख्या) (32)	
1.	मेक्रोमैजमेंट योजना				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	116	116			
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	27024.00	27866.00	27022	10232/724.05	724.05	10232	27748.05	28590.05	37254.00	1182/3475.00	1182	50	12	12		
3.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.	-	-	-	1231/399.30	399.30	1231	399.30	399.30	1231.00	1231/1754.00	1231	207	207	207		
4.	माडा पाकेट योजना	-	-	-	121/48.60	48.60	121	48.60	48.60	121.00	-	-	158	158	158		
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	214	57	57		
6.	बिरहोर योजना	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	10	10	10		
7.	आइसोपाम योजना	289.00	-	-	2250/77.80	77.80	2250	366.80	77.80	2250.00	-	-	-	-	-		
8.	बीज ग्राम योजना	209.00	209.00	5225	-	-	-	209.00	209.00	5225	-	-	-	-	-		
9.	अवती बीज संवर्धन योजना	3450.00	6597.00	7374	-	-	-	3450.00	6597.00	7374.00	-	-	-	-	-		
10.	राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम (आत्मा)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-		
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत "हरित क्रांति विस्तार योजना".	360.00	360.00	1200	3100/55	30.00	1500	415.00	390.00	2700.00	1200/1380.00	1380.00	1200	-	-		
योग		31332.00	35032.00	40821	16934/1279.75	15334	32636.75	36311.75	3613/6609.00	3613	6609.00	3613	721	560	560		
					1304.75										6609.00		

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 260) के भाग (क) की जानकारी]

**रायगढ़ जिले में संचालित बाल श्रमिक विशेष स्कूलों को मदवार
आवंटित राशि की जानकारी**

अ. क्र. (1)	मद (2)	2008-09 (3)	2009-10 (4)	2010-11 (5)
1.	शैक्षणिक शिक्षक	3,44,500	2,47,080	-
2.	व्यवसायिक शिक्षक	20,5,00	1,74,857	-
3.	लिपिक	2,07,000	1,31,860	-
4.	भृत्य	1,17,000	94,200	-
5.	मध्यान्ह भोजन	7,16,756	1,87,893	-
6.	भवन किराया	1,44,000	39,000	-
7.	शैक्षणिक सामग्री	95,300	18,500	-
8.	व्यवसायिक सामग्री	23,000	14,000	-
9.	आकस्मिक	45,258	15,742	-
10.	छात्रवृत्ति	-	5,15,106	-
कुल आवंटित राशि		18,97,814	14,38,238	

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 325) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम एवं जिला	संस्था में प्रवेशित छात्रों की संख्या कक्षावार										प्रति छात्र प्रतिवर्ष औसतन फीस	प्रतिवर्ष संस्थावार कुल फीस (राशि लाखों में)
			वर्ष 2008-09											
			6वीं (4)	7वीं (5)	8वीं (6)	9वीं (7)	10वीं (8)	11वीं (9)	12वीं (10)	योग (11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1.	2008-09	रॉयल किड्स कान्वेंट, राजनांदागांव	09	10	0	03	05	0	0	27	0.476	12.852		
2.	"	इंडियन पब्लिक स्कूल, राजनांदागांव	19	05	03	04	03	0	0	34	0.535	18.19		
3.	"	युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदागांव	12	08	07	07	10	10	02	56	0.714	39.984		
4.	"	सेंट विसेंट पैलोटी, राजनांदागांव	03	0	0	0	0	0	0	03	1.17	3.51		
5.	"	विवेकानंद विद्यापीठ, रायपुर	11	09	07	06	05	08	07	53	0.179	9.487		
6.	"	राजकुमार कालेज, रायपुर	13	10	10	07	03	05	05	53	1.187	62.911		
7.	"	रेडियंट पब्लिक स्कूल, रायपुर	0	0	0	110	117	24	0	251	1.44	361.44		
8.	"	ज्ञान गंगा एजुकेशन एकेडमी, रायपुर	22	14	09	06	06	02	0	59	0.724	42.716		
9.	"	जे. आर. दानी, उ. मा. वि. रायपुर	0	01	11	0	02	02	0	16	0.065	1.04		
10.	"	छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल, रायपुर	09	05	0	0	0	0	0	14	0.765	10.71		
11.	"	शिवा एजुकेशन सोसाईटी, भिलाई, दुर्ग	20	13	31	23	41	40	0	168	0.466	78.288		
12.	"	युगचेतना, दुर्ग	15	10	10	04	03	02	0	44	0.65	28.60		
13.	"	सरस्वती शिशुमंदिर, कंगोली, जगदलपुर	08	05	06	09	05	13	0	46	0.279	12.834		
14.	"	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	05	0	0	0	0	0	0	05	0.850	4.25		
15.	"	गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा	02	06	01	05	0	0	0	14	0.725	10.15		
16.	"	निर्मला उ. मा. वि., कोरबा	02	02	02	01	05	0	0	12	0.222	2.664		
17.	"	गुरुद्रोण कुटीर, रायगढ़	07	04	04	03	01	01	0	20	0.481	9.62		
18.	"	बर्जेस उ. मा. वि., बिलासपुर	11	04	09	03	01	02	0	30	0.203	6.09		
19.	"	होलीक्रास कान्वेंट, सरगुजा	12	09	04	0	0	01	0	26	0.210	5.46		
योग :-			180	115	114	191	207	110	14	931	-	720.796		

(राशि लाखों में)

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम एवं जिला	संस्था में प्रवेशित छात्रों की संख्या कक्षावार वर्ष 2008-09										प्रति छात्र प्रतिवर्ष औसतन फीस	प्रतिवर्ष संस्थावार कुल फीस
			6वीं	7वीं	8वीं	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1.	2009-10	रॉयल किड्स कान्वेंट, राजनांदागांव	12	09	10	0	03	03	0	37	0.476	17.612		
2.	--"	इंडियन पब्लिक स्कूल, राजनांदागांव	0	17	05	03	04	03	0	32	0.535	17.12		
3.	--"	युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदागांव	0	12	08	06	06	10	10	52	0.714	37.128		
4.	--"	सेंट विसेंट पैलोटी, राजनांदागांव	0	03	0	0	0	0	0	03	1.17	3.51		
5.	--"	विवेकानंद विद्यापीठ, रायपुर	16	09	07	06	05	05	07	55	0.179	9.845		
6.	--"	राजकुमार कालेज, रायपुर	0	13	10	10	07	03	05	48	1.187	56.976		
7.	--"	रेडियेंट पब्लिक स्कूल, रायपुर	31	0	0	0	110	117	24	282	1.44	406.08		
8.	--"	ज्ञान गंगा एजुकेशन एकेडमी, रायपुर	06	14	09	09	06	06	02	52	0.724	37.648		
9.	--"	जे. आर. दानी, उ. मा. वि. रायपुर	0	01	11	0	02	02	02	18	0.065	1.170		
10.	--"	छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल, रायपुर	16	08	0	0	0	0	0	24	0.765	18.36		
11.	--"	कांग्रेस वेली एकेडमी, रायपुर	10	0	0	0	0	0	0	10	1.175	11.75		
12.	--"	शिवा एजुकेशन सोसाइटी, भिलाई, दुर्ग	15	17	09	31	23	41	40	176	0.466	82.016		
13.	--"	युगचेतना, दुर्ग	19	11	10	10	04	03	02	59	0.65	38.35		
14.	--"	सरस्वती शिशुमंदिर, कंगोली, जगदलपुर	18	05	05	06	09	05	13	61	0.279	17.019		
15.	--"	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	0	05	0	0	0	0	0	05	0.85	4.25		
16.	--"	गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा	0	02	06	01	05	0	0	14	0.725	10.15		
17.	--"	निर्मला उ. मा. वि., कोरबा	08	02	02	02	01	05	0	20	0.222	4.44		
18.	--"	गुरुद्रोण कुटीर, रायगढ़	05	04	04	01	03	01	01	19	0.481	9.139		
19.	--"	बर्जेस उ. मा. वि., बिलासपुर	09	09	04	03	01	01	01	28	0.203	5.684		
20.	--"	होलीक्रास कान्वेंट, सरगुजा	07	09	09	04	0	0	01	30	0.21	6.30		
21.	--"	सार पब्लिक स्कूल, दमऊधारा, जांजगीर	06	0	0	0	0	0	0	06	0.54	3.24		
योग :-			178	150	109	92	189	205	108	1031	-	797.787		

परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 493) के भाग (क) की जानकारी]

**जिला बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्र तखतपुर अन्तर्गत स्थापित उपकेन्द्र से निकलने वाले
फीडरों की वर्ष 2009-10 में अधिकतम भार की जानकारी**

क्रमांक (1)	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के. व्ही. फीडर का नाम (3)	वर्ष 2009-10 में अधिकतम भार (एम्पीयर में) (4)
1.	गिरधौना	गिरधौना चितावर नवागांव कोडापुरी	95 35 70 20
2.	दैजा	बीजा ढनढन बेलपान	55 45 50
3.	जरेली	बेलसरी नगोई	20 40
4.	नेवसा	चोरहागांव सिंघनपुरी जूनापारा डोमनपुर	10 60 50 40
5.	काठाकोनी	खम्हरिया काठाकोनी पेंड़ी कुरैली	95 55 35 65
6.	सकरी	सैदा जोकी अरपा कालोनी बहनराई सकरी	60 65 30 50 100
7.	चोरभट्टी	समडोल नवापारा चनाडोंगरी पोड़ी भटनी परसदा गनियारी	70 30 35 45 75
8.	सकर्गा	बुटेना गुरू बेलमुड़ी सकर्गा उड़ेला	44 42 20 10

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	नेवरा (मोहनभाटा)	नेवरा	35
		भरारी	45
		कपसियाकला	

परिशिष्ट “छब्बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 523) की जानकारी]

**खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2006-07 से दिनांक 08-07-2010 तक मजराटोला विद्युतीकरण
योजना अंतर्गत विद्युतीकृत ग्रामों के मजराटोला/रिहायशी क्षेत्र की सूची**

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	विद्युतीकृत मजराटोला/रिहायशी क्षेत्र का नाम (3)	कार्यपूर्णता वर्ष (4)
1.	शिकारी टोला	1. आदिवासी हरिजन पारा	2006-07
		2. भाटापारा टोला	2006-07
2.	धरमूटोला	3. वार्ड नं. 1, 3, 6 एवं 2, 5	2006-07
3.	बम्हनी चारभांटा	4. जंगलपारा	2006-07
		5. अमरूपारा	2006-07
4.	भटगुना	6. अतिरिक्त विद्युतीकरण	2006-07
5.	बड़हुम	7. अतिरिक्त विद्युतीकरण	2006-07
6.	करेठी	8. अतिरिक्त विद्युतीकरण	2006-07
7.	कापा	9. आवासपारा	2006-07
		10, वार्ड नं. 13	2006-07
8.	चिरचारीखुर्द	11. आवासपारा	2006-07
		12. ग्रामीण आवास मोहल्ला	2006-07
9.	जैतगुण्डरा	13. आवासपारा	2006-07
10.	खुंटाछुरिया	14. ऊपर मोहल्ला	2006-07
11.	मेटेपारा	15. सतनामी पारा	2006-07
12.	बैरागीभेड़ी	16. मंदिरपारा	2006-07
13.	भकुरा	17. वार्ड नं. 5	2006-07
14.	सिंधाभेड़ी	18. आवास प्लाट पारा	2006-07
		19. आवासपारा तालाब के ऊपर	2006-07
15.	मंगाटोला	20. आवासपारा	2006-07
16.	जैतगुण्डरा	21. वार्ड नं. 10, 11, 12	2006-07
17.	ठेठवार लंझिया	22. राजीव नगर	2006-07
18.	तेलीटोला	23. आबादीपारा	2006-07
19.	कोटरा	24. वार्ड नं. 13 और 14	2006-07
20.	जोधरा	25. मजराटोला	2006-07
21.	लालूटोला	26. आवासपारा	2006-07
22.	गुण्डरदेही	27. मजराटोला	2006-07
23.	रतनभाट	28. मजराटोला	2006-07
24.	रामपुर	29. नयाआबादीपारा	2007-08
25.	थैलीटोला	30. नयाआबादीपारा	2007-08
26.	बड़गांव चारभाठा	31. आबादीपारा	2007-08
27.	खुर्सीपार	32. नयापारा	2007-08
28.	बागद्वार	33. भाटापारा	2007-08
29.	मातेखेड़ा	34. शेषपारा	2007-08
30.	नादियाखुर्द	35. आबादीपारा	2007-08
31.	सड़क बंजारी	36. आबादीपारा	2007-08
32.	चारभाठा	37. आबादीपारा	2007-08
		38. वार्ड क्र. 2 एवं 10	2007-08
33.	लालूटोला (उमरवाही)	39. तेटूटोला	2007-08

(1)	(2)	(3)	(4)
		40.	आमाटोला 2007-08
34.	भरीटोला	41.	रैनीटोला (शेषपारा) 2007-08
35.	झोलाटोला	42.	आबादीपारा 2007-08
36.	आमगांव (छु.)	43.	आबादीपारा 2007-08
37.	साल्हेटोला	44.	आबादीपारा 2007-08
38.	गरांपार	45.	आबादीपारा 2007-08
39.	किरगाहाटोला	46.	आबादीपारा 2007-08
40.	बनियाटोला	47.	आबादीपारा 2007-08
41.	शिकारीमहका	48.	आबादीपारा 2007-08
		49.	नयापारा 2007-08
42.	पूर्वमटोला	50.	वार्ड क्र. 1 2007-08
43.	भरीटोला (अ)	51.	रैनीटोला का टोला 2007-08
44.	मोहगांव	52.	शेषपारा 2007-08
		53.	महराजटोला 2007-08
45.	नरेठीटोला	54.	शेषपारा 2007-08
46.	खुंटा छुरिया	55.	शेषपारा 2007-08
47.	पदगुड़ा	56.	शेषपारा 2007-08
48.	चिखली	57.	आमापारा (शेषपारा) 2007-08
		58.	साहूपारा 2007-08
49.	सांगली	59.	सांगली नर्सरी वार्ड 5, 10 एवं 12 2007-08
50.	खुर्सीपार (पेलपारा)	60.	वार्ड नं. 3 2007-08
51.	आमाटोला	61.	इंदिराआवास 2007-08
		62.	आमाटोला 2007-08
52.	सिंघाभेड़ी	63.	जंतरगुड़ा 2007-08
53.	खुर्सीटिकुल	64.	इंदिराआवासपारा 2007-08
54.	शिकारीमहका	65.	नयापारा 2007-08
55.	कलडबरी	66.	वार्ड नं. 7,8 2007-08
56.	पंडरीपथरा	67.	मजराटोला 2007-08
57.	दैहान	68.	मजराटोला 2007-08
58.	सीताकसा गै	69.	मजराटोला 2007-08
59.	मोहगांव (जोंदरा)	70.	मजराटोला 2007-08
60.	बीजेपार	71.	अति. विद्युतीकरण 2007-08
61.	जनकपुर	72.	जनकपुर 2007-08
62.	टिपानगढ़	73.	वार्ड क्रमांक 01 एवं 03 2008-09
		74.	बैरागी भेड़ी 2008-09
63.	बिटाल	75.	रैनीटोला 2008-09
64.	झाड़ीखेरी	76.	डिहीपारा 2008-09
65.	दामाबंजारी	77.	दामाबंजारी 2008-09
66.	केसाल	78.	वार्ड क्रमांक 01, 07 एवं 08 2008-09
67.	साल्हेमनहोरा	79.	आवासपारा 2008-09
		80.	आवासपारा 2008-09
68.	माझीटोला	81.	आवासपारा 2008-09
69.	रामपुर	82.	इंदिरा आवास 2008-09
70.	आलीवारा	83.	कोलिया टोला 2008-09
71.	हालेकसा	84.	इंदिरा आवासपारा 2008-09
72.	कोलिहालमती	85.	आवासपारा 2008-09
73.	दाऊटोला	86.	वार्ड क्रमांक 07 2008-09

(1)	(2)	(3)	(4)
		87. बजरंगपुर	2008-09
74.	गैदाटोला	88. गैदाटोला (रजिया बाई के घर के पास)	2008-09
75.	नांदियाखुर्द	89. नांदियाखुर्द	2008-09
76.	छुरिया	90. कुम्हारपारा	2008-09
77.	चांदो	91. अतिरिक्त	2008-09
78.	गिधवाभंवर	92. पहाड़ीपारा	2008-09
79.	आतरगांव	93. पहाड़ी मंदिर पारा	2008-09
80.	साल्हे	94. भाटापारा	2008-09
81.	लाममेटा	95. वार्ड क्रमांक 3 व 12	2008-09
82.	पूरामटोला	96. अतिरिक्त विद्युतीकरण	2008-09
83.	खोराटोला	97. शेषपारा	2008-09
84.	पेरवाडीह	98. शेषपारा	2008-09
85.	भोलापुर	99. आबादीपारा	2008-09
86.	कल्लू बंजारी	100. आबादीपारा	2008-09
87.	फाफा मार	101. आबादीपारा	2008-09
88.	आटरा	102. वार्ड क्रमांक 06	2008-09
89.	धनगांव	103. इंदिरा आवास पारा	2008-09
90.	बरारमुडी	104. आवासपारा	2008-09
91.	बहोरन भेडी	105. आवासपारा	2008-09
92.	दीवानटोला	106. दीवानटोला	2009-10
93.	अतरगांव	107. अतरगांव	2009-10
94.	तुरैगढ़	108. तुरैगढ़	2009-10
95.	मासुल	109. मासुल	2009-10
96.	चिल्हाटी	110. चिल्हाटी	2009-10

परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 578) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

सारंगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा अन्तर्गत स्थापित क्रशर उद्योग की जानकारी

क्र. (1)	क्रशर उद्योग का नाम (2)	क्रशर उद्योग का स्थान (3)	क्रशर प्रारंभ होने की तिथि (4)
1.	मेसर्स प्रदीप अग्रवाल	टिमरलगा	06-09-04
2.	मेसर्स राधे ग्रामोद्योग	टिमरलगा	23-03-02
3.	मेसर्स श्रीमती रेणुका अग्रवाल	टिमरलगा	06-03-02
4.	मेसर्स सारंगढ़ स्टोन क्रेशर	सेन्दुरस	25-03-02
5.	मेसर्स जगदम्बा स्टोन क्रेशर	टिमरलगा	09-04-02
6.	मेसर्स श्याम क्रेशर	सेन्दुरस	20-05-02
7.	मेसर्स कृष्णा ग्रामोद्योग	टिमरलगा	06-07-02
8.	मेसर्स सुमित्रा क्रेशर उद्योग	टिमरलगा	10-01-03
9.	मेसर्स कामेश ग्रामोद्योग	टिमरलगा	31-03-03
10.	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी क्रेशर	गुडेली	16-05-03
11.	मेसर्स राधिका क्रेशर	गुडेली	19-06-03
12.	मेसर्स राज ग्रामोद्योग	सेन्दुरस	22-11-03
13.	मेसर्स जगदम्बा स्टोन क्रेशर	सेन्दुरस	19-02-04
14.	मेसर्स गणपति ग्रामो उद्योग	टिमरलगा	14-01-05
15.	मेसर्स गणपति मिनरल्स	टिमरलगा	17-01-05
16.	मेसर्स नाथलदाई क्रेशर	टिमरलगा	17-01-05
17.	मेसर्स गणेश राम क्रेशर	टिमरलगा	17-01-05
18.	मेसर्स महालक्ष्मी क्रेशर	टिमरलगा	14-01-05
19.	मेसर्स अरिहंत मिनरल्स	टिमरलगा	15-01-05
20.	मेसर्स भानुदासजी मिनरल्स	गुडेली	26-01-05
21.	मेसर्स मां भवानी क्रेशर	सेन्दुरस	15-01-05
22.	श्रीमती सुनीता देवी बंसल	गुडेली	19-01-05
23.	मेसर्स बालाजी ग्रामोद्योग	टिमरलगा	19-01-05
24.	श्रीमती सरिता देवी	गुडेली	01-02-05
25.	मेसर्स पूजा क्रेशर	गुडेली	04-02-05
26.	मेसर्स वर्द्धमान क्रेशर	गुडेली	20-02-05
27.	जय अम्बे क्रेशर (बंशी)	गुडेली	17-03-05
28.	तिरूपति ग्रामोद्योग	सेन्दुरस	21-03-05
29.	अविनाश ग्रामोद्योग	टिमरलगा	30-03-05
30.	सुरेश राम क्रेशर	सेन्दुरस	30-03-05
31.	मेसर्स विनायक स्टोन क्रेशर	गुडेली	30-03-05
32.	मेसर्स प्रदीप केडिया	गुडेली	14-05-05
33.	ओम क्रेशर	टिमरलगा	24-02-09

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	मेसर्स अंजनी क्रेशर	टिमरलगा	04-06-05
35.	तारणी क्रेशर	सेन्दुरस	04-06-05
36.	श्रीमती श्यामा देवी	गुडेली	15-06-05
37.	मेसर्स सिंघल स्टोन क्रेशर	टिमरलगा	20-06-05
38.	मेसर्स केजरीवाल क्रेशर	गुडेली	11-10-05
39.	मेसर्स राज मिनरल्स	गुडेली	13-10-05
40.	मेसर्स बालाजी लाईम	गुडेली	26-10-05
41.	मेसर्स जय मां बंजारी ग्रामोद्योग	टिमरलगा	26-10-05
42.	मेसर्स जय अम्बे क्रेशर (अजय)	गुडेली	12-12-05
43.	मेसर्स महामाया ग्रामोद्योग	टिमरलगा	29-12-05
44.	मेसर्स भानुदासजी मिनरल्स	गुडेली	31-12-05
45.	मेसर्स महालक्ष्मी मिनरल्स	गुडेली	26-10-05
46.	मेसर्स मां दुर्गी मिनरल्स	टिमरलगा	19-01-06
47.	मेसर्स महानदी मिनरल्स	टिमरलगा	20-01-06
48.	मेसर्स सरस्वती मिनरल्स	टिमरलगा	25-01-06
49.	कैलाश शमा-1	टिमरलगा	20-03-06
50.	सुभाष कुमार अग्रवाल	टिमरलगा	20-03-06
51.	कविता ग्रामोद्योग	टिमरलगा	03-04-06
52.	मेसर्स शिव शक्ति ग्रामोद्योग	टिमरलगा	13-04-06
53.	एस. एस. मिनरल्स	टिमरलगा	27-09-06
54.	मां कामाख्या देवी क्रेशर	टिमरलगा	06-02-07
55.	आन्नद स्टोन क्रेशर	गुडेली	22-01-05
56.	हरिदत्त शर्मा	टिमरलगा	27-07-85
57.	अभिलाषा ग्रामोद्योग	टिमरलगा	18-01-06
58.	विश्वकर्मा स्टोन क्रेशर	टिमरलगा	13-05-93
59.	बालाजी लाईम	गुडेली	29-01-08
60.	शुभ मिनरल्स	गुडेली	04-03-08
61.	मंगल स्टोन क्रेशर	टिमरलगा	05-03-08
62.	गौरव मिनरल्स	गुडेली	08-03-08
63.	माधव मिनरल्स	गुडेली	17-04-08
64.	शक्ति ग्रामोद्योग	टिमरलगा	25-05-08
65.	शिवम मिनरल्स	टिमरलगा	25-06-08
66.	बालाजी मिनरल्स	टिमरलगा	02-08-08
67.	वेंकटेश ग्रामोद्योग	टिमरलगा	18-10-08
68.	मेसर्स यश ग्रामोद्योग	टिमरलगा	26-12-08
69.	मेसर्स रमा ग्रामोद्योग	गुडेली	09-02-09
70.	मेसर्स श्याम मिनरल्स	गुडेली	18-03-09
71.	मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक	गुडेली	02-04-09

(1)	(2)	(3)	(4)
72.	कामेश स्टोन क्रेशर	टिमरलगा	15-04-09
73.	बालीजी मेंटल	टिमरलगा	15-04-09
74.	एस. एस. मिनरल्स	गुडेली	23-04-09
75.	डाली ग्रामोद्योग	टिमरलगा	22-05-09
76.	मेसर्स मंगलम् ग्रामोद्योग	गुडेली	05-06-09
77.	मेसर्स महादेवी ग्रामोद्योग	टिमरलगा	10-06-09
78.	मेसर्स मां शारदा क्रेशर	टिमरलगा	22-06-09
79.	मेसर्स अपर्वा ग्रामोद्योग	गुडेली	23-06-09
80.	मेसर्स कान्हाजी ग्रामोद्योग	टिमरलगा	30-06-09
81.	मेसर्स मां सर्वेश्वरी ग्रामोद्योग	टिमरलगा	04-07-09
82.	मेसर्स गोविन्द शर्मा ग्रामोद्योग	गुडेली	03-10-09
83.	मेसर्स एस. एन. मिनरल्स	सरसरा	26-11-09
84.	मेसर्स छ. ग. मिनरल्स	गुडेली	7-10-09
85.	मेसर्स महालक्ष्मी मिनरल्स	टिमरलगा	06-01-10
86.	मेसर्स मां बंजारी क्रेशर	गुडेली	06-01-10
87.	मेसर्स मंगलम् मिनरल्स	सरसरा	04-02-10
88.	मेसर्स शुभम मिनरल्स	गुडेली	18-02-10
89.	मेसर्स बापोडिया ग्रामोद्योग	टिमरलगा	18-03-10
90.	मेसर्स पटेल ग्रामोद्योग	परसाडीह	12-04-10
91.	मेसर्स बाबा मिनरल्स	गुडेली	15-05-10
92.	मेसर्स गणपति ग्रामोद्योग	गुडेली	21-05-10
93.	मेसर्स मां भवानी मिनरल्स	गुडेली	10-06-10
94.	मेसर्स ब्रज कृष्ण क्रेशर उद्योग	गुडेली	23-06-10
95.	मेसर्स ओम मिनरल्स	गुडेली	30-06-10
96.	मेसर्स गणपति स्टोन चिप्स	टिमरलगा	07-07-10
97.	मेसर्स हरिहरानन्द क्रेशर उद्योग प्रो. गोविन्द राम अग्रवाल	सहजपाली	07-03-09
98.	मेसर्स राजेश अग्रवाल	परधियापाली	15-03-09
99.	मेसर्स जानकी ग्रामोद्योग प्रो. श्री कैलाश नायक	झनकपुर	21-05-07
100.	मेसर्स समीर कुमार क्रेशर उद्योग	सोनबला	18-07-05
101.	मेसर्स रीतिक ग्रामोद्योग प्रो. सुषमा नायक	सोनबला	03-10-06
102.	मेसर्स जय माता दी ग्रामोद्योग	सरियादरहा	28-11-09
103.	मेसर्स भगवती मिनरल्स	मुडपार	12-04-10
104.	मेसर्स ओम साई क्रेशर	मुडपार	29-05-09

प्रपत्र “ब”

रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित क्रशर उद्योगों में डस्ट से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई है-

1. समस्त क्रशर मशीन के वायुब्रेटिंग स्क्रीन/रोटरी स्क्रीन को जीआई शीट से ढँका गया है ताकि डस्ट का दूर तक फैलाव न हो सके.
2. क्रशर संचालकों द्वारा मानवीय साधनों द्वारा जल छिड़काव का कार्य किया जा रहा है.
3. क्रशर संचालकों द्वारा संचालित क्रेशर के आसपास वृक्षारोपण का कार्य किया गया है.
4. छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत क्रशर संचालन हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है जिनके द्वारा उक्त विभागीय निर्देशों एवं नियमों के अनुसार सही पाये जाने वाले क्रशरों को ही संचालन हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया जा रहा है.
5. डस्ट प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु उपाय नहीं करने के कारण तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन भण्डारण) नियम 2009 के तहत क्रशर मशीन के प्रतिबंधित दूरी में आने के कारण ग्राम टिमरलगा एवं गुढेली में स्थापित 11 क्रेशर मालिकों द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है.

परिशिष्ट “अट्टाईस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 616) के भाग (ग) की जानकारी]

श्री के. पी. ठाकुर, श्रम निरीक्षक, विकासखण्ड-तिल्दा, वर्ष 2008-09

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	निरीक्षण (3)	अभियोजन (4)	अधिनियम/धारा (5)
1.	गुरूनानक इंडस्ट्रीज, तिल्दा	01	-	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(e) नियम-23 एवं धारा 18(1) नियम 29-A
2.	सेचूरी सीमेंट, बैकुंठ	14	14	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(e) नियम-23 एवं धारा 18(1) नियम 29-A धारा 30(2) (d) नियम-22 (4)
3.	मिलेनियम हाइटेक, सरोरा	02	01	मोटर यातायात श्रमिक अधि. की धारा-3, नियम-8 एवं न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(e) नियम 23 एवं धारा 30 (2) (d) नियम-22 (4)
4.	विमल मिनी स्पंज, चिचोली	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(h) (i) नियम-27(2) एवं धारा 18(1) नियम 29(1)
5.	मिरानिया ब्रेवरेज पीकरीडीह	02	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 18 (1), नियम-29(5) एवं 29(1)
6.	अग्रवाल साँ मिल	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 18 (1), नियम-29(5) एवं 29(1)
7.	बोरा गोडाउन, तुलसी	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 18 (1), नियम-29(5) एवं 29(1)
8.	आई. डी. एल. गल्फ, बिलाड़ी	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा -18 (3), नियम-29(2), 31-ए
9.	चैतन्य साल्वेक्स,	01	-	बो. भु. अधि. की धारा-26
10.	महेश मिल	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा -18 (3), नियम-29(2), 31-ए
11.	खेतान स्पंज आयरन, सरोरा	02	02	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30(2) (d) नियम-22 (4)
कुल		27	23	

श्री के. पी. ठाकुर, श्रम निरीक्षक, विकासखण्ड-तिल्दा, वर्ष 2009-10

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	निरीक्षण (3)	अभियोजन (4)	अधिनियम/धारा (5)
1.	मिलेनिका हाईटेक, परसदा	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(d) नियम-22 (4) एवं धारा 18(3) नियम 29(2) एवं 31-ए
2.	अर्शा आयरन, परसदा	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(e) नियम-23 एवं धारा 18(1) नियम 29-ए
3.	उदय स्पंज भूमिया	02	01	न्यूनतम वेतन अधि. धारा 18 (1) नियम-29(5) एवं नियम 29(1)
4.	के. सी. सी. पोल फैक्ट्री, चिचोला	01	01	सामान पारिश्रमिक अधि. की धारा 8, नियम-6 एवं न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30(2)(e) नियम 23 एवं धारा 18(1) नियम 29 (5), 29(1)
नियम				
5.	शिवाँज फूड्स, नेवरा	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा -30 (2), (e) नियम-23 एवं धारा 18 (1) नियम 29(5) धारा 30(2) (g) नियम-25(1)
6.	श्याम राईस मिल, नेवरा	01	01	मोटर यातायात श्रमिक अधि. की धारा-3, नियम-8
7.	कैलाश राईस मिल, नेवरा	01	01	मोटर यातायात श्रमिक अधि. की धारा-3, नियम-8
	कुल	09	07	

विकासखण्ड-सिमगा-श्री आर. एस. राजपूत, श्रम निरीक्षक, वर्ष 2009-10

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	निरीक्षण (3)	अभियोजन (4)	अधिनियम/धारा (5)
1.	मे. जगदीश कंस्ट्रक्शन, द्वारा-ग्रासीम सीमेंट, खान	01	01	न्यू. वे. अधि. की धारा 18(1), नियम 29 (5), एवं 29(1) धारा 30(2) (e), नियम 23
2.	मे. हाजी ए. पी. बाबा एण्ड कंपनी, द्वारा-ग्रासीम सीमेंट, खान	01	01	न्यूनतम वेतन अधि. की धारा 30 (2)(d) नियम-22 (4)
	योग	02	02	

परिशिष्ट “उनतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 629) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2008 से 30-06-2010 तक स्वीकृत नल जल योजनाएं :-

क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्र. व दिनांक	लागत (रु. लाख में)	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I नगरीय योजना				
1.	गुरुर जल प्रदाय योजना	पृ. क्र. 1177/एफ 10-3-43/8/342/01- रायपुर दिनांक 05-05- 2008.	173.28	प्रगति पर
II नल जल योजना				
1.	सनौद आवर्धन योजना	252/तशा/मु. अ./रा. दिनांक 19-03-08.	18.85	पूर्ण
2.	चितौद आवर्धन योजना	247/तशा/मु. अ./रा. दिनांक 18-03-08.	24.98	पूर्ण
3.	झलमला पाईप लाईन विस्तार	149/तशा/मु. अ./रा. दिनांक 24-06-08.	10.15	पूर्ण
4.	पेन्डरवानी पाईप लाईन विस्तार	275 मुअ(रा) दिनांक 27-03-2008.	3.40	पूर्ण
5.	तार्री नल जल योजना	162/मुअ(रा) दिनांक 8-07-2008.	22.95	टंकी का कार्य प्रगति पर सीधे पंपिंग से ज. प्र. प्रारंभ.
6.	जमरूवा आवर्धन	160/मुअ(रा) दिनांक 8-07-2008.	22.30	टंकी का कार्य प्रगति पर सीधे पंपिंग से ज. प्र. प्रारंभ.
7.	कुलिया आवर्धन	159/ मुअ(रा) दिनांक 8-07-2008.	24.67	टंकी का कार्य प्रगति पर सीधे पंपिंग से ज. प्र. प्रारंभ.
8.	खुदनी आवर्धन	158/ मुअ(रा) दिनांक 8-07-2008.	18.72	टंकी का कार्य प्रगति पर सीधे पंपिंग से ज. प्र. प्रारंभ.
9.	पीपरछेड़ी आवर्धन	161/ मुअ(रा) दिनांक 8-07-2008.	24.96	टंकी का कार्य प्रगति पर सीधे पंपिंग से ज. प्र. प्रारंभ.

परिशिष्ट “तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 637) की जानकारी]

जिला राजनांदागांव के बोरियातिबू वनक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 534(पी), 535(पी), 537(पी) के अन्तर्गत कंपनियों को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु भारत सरकार खान मंत्रालय को भेजी गई अनुशंसा का विवरण :-

स. क्र.	कंपनियों का नाम	वन कंपार्टमेंट नम्बर	भारत सरकार, खान मंत्रालय को की गई अनुशंसा का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स रायपुर एलाय एण्ड स्टील कंपनी, (वर्तमान नाम-मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड)	534, 536, 537	विभागीय पत्र क्र. 2-432/95/12/1, भोपाल, दिनांक 31-12-97
2.	मेसर्स नागपुर एलाय लिमिटेड (वर्तमान नाम-मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड)	534, 536,	विभागीय पत्र क्र. 579/843/2001/एम, रायपुर दिनांक 05-03-2002.
3.	मेसर्स एच. ई. जी. लिमिटेड	536, 537,	विभागीय पत्र क्र. 579/843/2001/एम, रायपुर दिनांक 05-03-2002
4.	मेसर्स इस्पात गोदावरी (वर्तमान नाम-मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड)	535, 536,	विभागीय पत्र क्र. 579/843/2001 एम, रायपुर दिनांक 05-03-2002.

परिशिष्ट “इक्तीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 641) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 में स्वीकृत पट्टों की जानकारी

वर्ष 2007-2008

खनिपट्टा (एम. एल.)

क्र.	पट्टेधारियों का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत रकबा (हेक्टर/एकड़ में)	ग्राम व तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	बालाजी ट्रेनिंग कं. पार्ट. श्री रामभगत गुप्ता निवासी खरसिया.	डोलोमाइट	4.249 हेक्टर	छितापड़रिया-जैजैपुर
----	--	----------	--------------	---------------------

उत्खनि पट्टा (क्यू. एल.)

1.	पारस मिनरल्स प्रो. श्री गौरव अग्रवाल	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.85 ए.	देवरहा-जांजगीर
2.	श्रीमती शशीकला अग्रवाल	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.70 ए.	देवरहा-जांजगीर
3.	मेसर्स बालाजी क्रेशर उद्योग प्रो. श्री अजय कुमार शर्मा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.53 ए.	करमंदी-जांजगीर
4.	अग्रवाल स्टोन क्रेशर प्रो. श्री सुभाष अग्रवाल निवासी कोरबा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	3.00 ए.	अमझर-चांपा
5.	श्री संतोष कुमार यादव	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.32 ए.	किकिरदा-जैजैपुर
6.	पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रा निवासी सरहर	नि. श्रे. चूना पत्थर	5.01 ए.	नयाबाराद्वार-सक्ती
7.	मेसर्स ओम क्रेशर इ. प्रो. श्री राजेश मिश्रा	नि. श्रे. चूना पत्थर	5.00 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
8.	श्री मंगतू राम अग्रवाल निवासी शिवरीनारायण.	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.52 ए.	सुकुलपारा-पामगढ़
9.	श्रीमती पुष्पलता पंचायती निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	6.14 ए.	किरारी-अकलतरा
10.	दलजीत सिंह कालरा निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	6.00 ए.	किरारी-अकलतरा
11.	श्री राजेश कुमार वैष्णव निवासी तरौद	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.10 ए.	तरौद-अकलतरा
12.	मेसर्स पवन स्टोन क्रशिंग इ. प्रो. श्री दुखीराम राठौर.	नि. श्रे. चूना पत्थर	3.75 ए.	करमंदा-बलौदा
13.	श्री बजरंग राठौर निवासी जांजगीर	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.00 ए.	औराईकला-बलौदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	एम. एम. इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री महेन्द्र मित्तल.	नि. श्रे. चूना पत्थर	4.10 ए.	करमंदा-बलौदा
15.	रामअवतार अग्रवाल आ. श्री रामफल अग्रवाल निवासी सक्ती.	मिट्टी (फिक्स चिमनी भट्टा)	1.53 ए.	सक्ती-सक्ती
16.	श्री भैरव केशरवानी	मिट्टी (फिक्स चिमनी भट्टा)	1.50 ए.	देवरी-नवागढ़

वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत पट्टा की सूची

खनिपट्टा (एम. एल.)

क्र.	पट्टेधारियों का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत रकबा (हेक्टर/एकड़ में)	ग्राम व तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह निवासी धनेली, बाराद्वार.	डोलोमाइट	4.168 हेक्टर	छितापड़रिया-जैजैपुर

उत्खनि पट्टा (क्यू. एल.)

1.	राजेश कुमार बैसवार आ. श्री एस. एल. बैसवार निवासी जांजगीर.	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.71 ए.	
2.	श्री महेश कुमार मोदी चांपा	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.457 हेक्टेयर	देवरहा-जांजगीर
3.	श्री शिवकुमार अग्रवाल निवासी सक्ती	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.56 ए.	रायपुरा-जैजैपुर
4.	श्री सुरेश प्रताप श्याम निवासी किरारी	नि. श्रे. चूना पत्थर	4.10 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
5.	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स प्रो. श्री राहुल खण्डेलिया.	नि. श्रे. चूना पत्थर	4.000 हे.	जेवरा-पामगढ़
6.	श्री रघुवीर सिंह निवासी बनाहिल	नि. श्रे. चूना पत्थर	4.90 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
7.	सतीष शर्मा निवासी नैला	नि. श्रे. चूना पत्थर	7.00 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
8.	श्री कृष्णा मिनरल्स प्रो. कृष्ण कुमार अग्रवाल कोरबा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	6.50 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
9.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल निवासी झूलन	नि. श्रे. चूना पत्थर	3.00 ए.	झूलन-पामगढ़
10.	मेसर्स डी. एस. इन्टरप्राइजेस पार्ट. श्री दीपक अग्रवाल.	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.00 ए.	चोरभट्टी-पामगढ़
11.	मनोज अग्रवाल निवासी तरौद	नि. श्रे. चूना पत्थर	3.50 ए.	किरारी-अकलतरा
12.	श्री ललीत अग्रवाल निवासी तरौद	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.672 हे.	किरारी-अकलतरा
13.	मेसर्स टी. एन. इन्टरप्राइजेस प्रो. त्रिलाकीनाथ भवनानी कोरबा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.35 ए.	अकलतरा-अकलतरा
14.	श्री राघवेन्द्र शर्मा निवासी पौना	नि. श्रे. चूना पत्थर	9.50 ए.	पौना-अकलतरा
15.	नारायण स्टोन इं. विकास अग्रवाल नैला	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.48 ए.	किरारी-अकलतरा
16.	जयमातादी ग्रामोद्योग प्रो. श्री सतीश अग्रवाल.	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.61 ए.	अकलतरा-अकलतरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	श्रीमती मीना सिंह चंदेल	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.40 ए.	तरौद-अकलतरा
18.	श्रीमती अफरोज जहां डॉ शफीक अहमद निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.400 ए.	किरारी-अकलतरा
19.	श्री अशुल कुमार जैन निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.00 ए.	किरारी-अकलतरा
20.	श्री राधेकृष्ण मिनरल्स पार्ट. श्री रतन चन्द्र अग्रवाल निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.00 ए.	अकलतरा-अकलतरा
21.	श्री विवेक सराफ आ. श्री प्रमोद सराफ अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.26 ए.	तरौद-अकलतरा
22.	अनिल कुमार अग्रवाल निवासी जांजगीर	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.40 ए.	किरारी-अकलतरा
23.	श्रीमती रीता सिंह निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.823 है.	किरारी-अकलतरा
24.	श्री योगेश कुमार अग्रवाल निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.83 ए.	किरारी-अकलतरा
25.	श्री ओम प्रकाश मिश्रा आ. श्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा निवासी रायपुर.	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.344 हे.	किरारी-अकलतरा
26.	श्रीमती भागीरती देवी पति श्री सत्यदेव गुप्ता निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.569 हे.	अकलतरा-अकलतरा
27.	मेसर्स बालाजी मिनरल्स एण्ड माईन्स पार्ट. श्रीमती आरती सिंह निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	6.00 ए.	अकलतरा-अकलतरा
28.	महादेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पार्ट. अनिल कुमार सिंह किरारी.	नि. श्रे. चूना पत्थर	3.717 हे.	किरारी-अकलतरा
29.	श्री इन्द्र कुमार प्रजापति निवासी किरारी	नि. श्रे. चूना पत्थर	2.016 हे.	किरारी-अकलतरा
30.	श्री प्रदीप कुमार राठौर निवासी जांजगीर	नि. श्रे. चूना पत्थर	0.749 हे.	किरारी-अकलतरा
31.	श्रीमति श्वेता मोदी	नि. श्रे. चूना पत्थर	1.50 ए.	बैजलपुर-बलौदा
32.	मेसर्स चाम्पा ब्रिक्स प्रो. मेखूलाल राठौर	मिट्टी	3.03 ए.	कुदरी-जांजगीर
33.	श्री शिव कुमार बैसवार निवासी जांजगीर.	मिट्टी	8.87 ए.	पिसौद एवं देवरहा तह. जांजगीर.
34.	श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल निवासी शिवरीनारायण.	मिट्टी	2.79 ए.	तनौद-पामगढ़
35.	श्री रामखिलावन डहरिया निवासी भुईगांव	मिट्टी	2.47 ए.	भुईगांव-पामगढ़

प्रपत्र "ब"

लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वाले खनिज रियायत धारकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण -

क्र.	पट्टेधारियों का नाम	खनिज का नाम	ग्राम व तहसील	पट्टेधारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती सीताबाई मोहता निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 मार्च, 08 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, पट्टेदार का जवाब संतोषप्रद नहीं होने से राशि रु. 80,000=00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया था, जिसमें से राशि रु. 25,000-00 जमा कराया गया है, शेष अर्थदण्ड की वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलित है.
2.	देवराज सिंह निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	दिनांक 21 मई 07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. पट्टेदार का जवाब संतोषप्रद नहीं होने से राशि रु. 12,000=00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया था. जिसे पट्टेदार से वसूल कर जमा कराया गया है.
3.	प्रभाकर धर दीवान निवासी किरारी	नि. श्रे. चूना पत्थर	किरारी- तह.-अकलतरा	दिनांक 21 मई 07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. पट्टेदार का जवाब संतोषप्रद नहीं होने से राशि रु. 12,000=00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया था. जिसे पट्टेदार से वसूल कर जमा कराया गया है.
4.	खुर्शीद अहमद निवासी जूना बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	किरारी- तह.-अकलतरा	दिनांक 21 मई 07 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. पट्टेदार द्वारा जवाब नहीं दिया गया है. पुनः दिनांक 10 दिसम्बर 09 को खनि अधिकारी द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया है. कोई जवाब नहीं मिलने से निरस्ती की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है.
5.	श्रीमती ज्योत्सना सिंह निवासी तरौद	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	आरोपित अर्थदण्ड की राशि रु. 12,000=00 वसूल कर जमा कराया गया है.
6.	श्री लक्ष्मीकांत पुरोहित निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 29 मई 2009 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
7.	शिवम मिनरल्स प्रो. श्री श्याम सुन्दर जाजोदिया	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	आरोपित अर्थदण्ड की राशि रु. 20,000=00 वसूल कर जमा कराया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	श्री मातादीन मुक्तिम निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 06 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
9.	सनत कुमार राठौर निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	पकरिया- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
10.	मो. लुकमान निवासी अकलतरा.	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
11.	सुलोचना मिनरल्स प्रो. श्री शैलेष अग्रवाल नैला	नि. श्रे. चूना पत्थर	नवापारा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
12.	आर. वेंकटराव निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
13.	अकलतरा स्टोन क्रशर प्रो. आनंद खेमका.	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
14.	अकलतरा स्टोन क्रशर प्रो. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल.	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
15.	मिरी ग्रामोद्योग श्रीमती मीना मिनरी	नि. श्रे. चूना पत्थर	नवापारा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
16.	राजू जैन निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
17.	निरंजन मुक्तिम निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	खटोला- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
18.	आलोक अग्रवाल निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	परसाहीनाला- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
19.	मेसर्स अन्नपूर्णा मिनरल्स प्रो. श्री शशीकांत अग्रवाल	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	मुकेश पालीवाल निवासी अकलतरा	नि. श्रे. चूना पत्थर	अकलतरा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
21.	श्री विकास शर्मा	नि. श्रे. चूना पत्थर	नवापारा- तह.-अकलतरा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
22.	श्री पवन कुमार शर्मा निवासी नैला	नि. श्रे. चूना पत्थर	नवागांव- तह.-बलौदा	दिनांक 07 जुलाई 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
23.	रामदत्त राठौर निवासी सरखों	नि. श्रे. चूना पत्थर	सरखों- तह.-जांजगीर	दिनांक 28 सितम्बर 09 को सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्राप्त नहीं है, अभिवहन पास नहीं दिया जा रहा है.
24.	गजराज सिंह चंदेल निवासी तरौद	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	दिनांक 14 दिसम्बर 09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब नहीं देने के कारण कलेक्टर महोदय के आदेश क्र. 6287 दिनांक 20-05-10 से पट्टा निरस्त किया गया है.
25.	मेटल मेन पार्ट . श्री आर. के. केडिया निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	दिनांक 14 दिसम्बर 09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जवाब नहीं देने पर राशि रु. 80,000=00 अर्थदण्ड से आरोपित किया गया है. वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलित है.
26.	राकेश धर दीवान निवासी किरारी	नि. श्रे. चूना पत्थर	किरारी- तह.-अकलतरा	दिनांक 22 दिसम्बर 09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब अप्राप्त है. खदान निरस्त करने की कार्यवाही हेतु खनि निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन लिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है.
27.	श्रीमती मीना राजोरिया निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	तरौद- तह.-अकलतरा	दिनांक 22 दिसम्बर 09 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब अप्राप्त है. खदान निरस्त करने की कार्यवाही हेतु खनि निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन लिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है.
28.	मेसर्स राधा मोहन मिनरल्स इं. पार्ट. श्री राजेश कुमार अग्रवाल निवासी बिलासपुर	नि. श्रे. चूना पत्थर	किरारी- तह.-अकलतरा	दिनांक 29 मार्च 10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब अप्राप्त होने के कारण आदेश दिनांक 15-07-2010 से पट्टा निरस्त किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	श्री राम केडिया निवासी अकलतरा	डोलोमाईट	दर्दी- तह.-अकलतरा	वित्तीय वर्ष 2009-10 में माइनिंग प्लान में निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज का उत्पादन करने पर आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2009 से उत्पादन कार्य बंद करा दिया गया था, जिसे पुनः वित्तीय वर्ष 2010-2011 में आरंभ कराया गया है.